

“विकास आयुक्त कार्यालय के नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (v) के अंतर्गत)

● छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश (Rules of Business)

<https://gad.cg.gov.in/>

- आदेश उपचार हेतु निजी चिकित्सालयों की मान्यता
- शासकीय सेवकों हेतु कैंशलेस चिकित्सा सुविधा
- चिकित्सा परिचर्या नियम 2013
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म
- समयमान वेतनमान संबंधी निर्देश
- छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भारतीय स्टेट बैंक के State Government Salary Package के संबंध में।
- पेंशन तथा उपादान निर्धारण करने संबंधी फार्म।
- अनुकंपा भर्ती नियम निर्देश

(5) a

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर 492002

क्रमांक: GENS-1902/79/2026-MED-328290, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 13-05-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत स्थित निजी चिकित्सालयों की मान्यता बाबत।

-00-

राज्य शासन, एतद्वारा, राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु दिनांक 01/04/2026 से 31/03/2027 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है:-

-:: राज्यांतर्गत स्थित निजी चिकित्सालय ::-

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
1	सर्व ट्रामा हॉस्पिटल, जी.ई.रोड, तात्यापारा, रायपुर,	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Orthopedic (4) Pathology
2	सुयश हॉस्पिटल, कोटा गुडियारी रोड, रायपुर (छ.ग.)	(1) Orthopedic (2) Neuro-Surgery (3) Urology
3	Yashoda Nanadan Children Hospital Station Road Sindhi Colony Near Gurudwara Durg, (C.G.)	Pediatrics
4	Navkar Hospital, B-27, Near MLA Rest House, Ring Road No. 1, Tagore Nagar, Raipur (C.G.)	(1) General Surgery (2) General Medicine, (3) Obs. & Gyne and (4) Orthopedic
5	बालको मेडिकल सेंटर, सेक्टर 36, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)	All Type of Cancer सभी प्रकार के कैंसर रोगों के उपचार हेतु
6	Sita Memorial Multi speciality Dental Clinic, Ramnath Bhimsen Bhawan Road, In Front of krishna Adlab, Samta Colony, Raipur (C.G.)	Dental
		(1) Surgery (2) Obst. & Gynec.

7	आरोग्य हॉस्पिटल, जी.टी. शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(3) Medicine (4) Urology (5) Neuro Surgery, (6) Plastic Surgery, (7) Oncology, (8) Anesthesia, (9) Dental (10) Radiology (11) Physiotherapy (12) Pathology (13) Cardiology (14) Nephrology (15) Ophthalmology (16) Gastro-enterology, (17) Orthopedic.
8	Radiant SuperSpecialty & Cancer Hospital, Near Old Toll Plaza, Ring Road No.-1, Kushalpur, Raipur (C.G.)	(1) General Medicine (2) Medical Oncology
9	Apex Eye Hospital & Retina Center, Near Swaroop Talkies, Station Road, Durg (C.G.)	(Ophthalmology) केवल नेत्र रोग
10	Shri Sai Netralaya, Shop No. 26, Railway Line Vyavasayic Parisar, Akash Ganga, Supela, Bhlai, Districs-Durg (C.G.)	(Ophthalmology) नेत्र रोग
11	संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर, हॉस्पिटल, जैन मंदिर के सामने, दावड़ा कालोनी, पचपेड़ी नाका रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty-for Cancer Treatment Only
12	Sankalp Hospital, Behind Dist. Hospital, Bilaspur Road, Manipur, Ambikapur, Surguja (C.G.)	(1) Ophthalmology (2) Obstetrics & Gynecology (3) General Medicine
13	डॉ. आर. एल. हॉस्पिटल, गौशाला रोड, रायगढ़ (छ.ग.)	(1) प्रसूति एवं स्त्रीरोग (2) अस्थिरोग विभाग (3) जनरल सर्जरी विभाग (4) पॉली ट्रामा विभाग
14	ASG आई हॉस्पिटल प्रा.लि., शक्ति नगर, मेन रोड रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty:- Ophthalmic Treatment नेत्ररोग संबंधी उपचार
15	श्री बालाजी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़	(1) Orthopedic (2) Neuro- Surgery (3) Nephrology (4) Medicine (5) Gen, Laparoscopy Surgery (6) Obst. & Gynee (7) Anesthesia (8) Ophthalmology (9) Pulmonology (10) Pathology (11) Pediatric (12) Skin & VD (13) ENT (14) Dental
16	जैन डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, न्यू राजेन्द्र नगर, यूको बैंक के सामने, रायपुर, छत्तीसगढ़	Single Specialty:- For Dental Treatment

17	S.R. Hospital & Research Center, Village-Chikhli, Post-Jeora Sirsa, Dhamdha Road, Durg (C.G.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Obstetrics & Gynecology (4) Orthopedics (5) Pediatrics (6) Ophthalmology (7) ENT (8) Pathology (9) Dental
18	Shri Jagannath Multi Specialty Hospital, Opp. CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Ring Road, Raipur	(1) Orthopedics, (2) General Medicine
19	Agrawal Nursing Home Multispeciality Hospital, Basna Dis-Mahasamund (CG)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Orthopedics (4) Pediatric (5) Obs & Gynae (6) Dental (7) Oral Maxillofacial Surgery
20	सोनी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड मेटरनेटी होम, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)	केवल प्रसूति एवं स्त्रीरोग उपचार सुविधा हेतु
21	आशादीप हॉस्पिटल न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty-Orthopedic Procedure
22	मिस्तल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, होलीक्रास कापा स्कूल के सामने, अवन्ति बाई चौक, पण्डरी, रायपुर छत्तीसगढ़	(1) Neuro Surgery (2) Medical Oncology (3) Orthopedics (As Per Sanjivani)
23	मिस्तल भिलाई हॉस्पिटल, जूनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई (छ.ग.)	(1) Medicine (2) Radiotherapy (3) Pathology Department
24	डॉ. जाऊलकर ईएनटी हॉस्पिटल, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कालोनी, रायपुर	Single Specialty-ENT
25	Agrawal Hospital Infront of Maruti Business Park, GE Road, Raipur (CG)	(1) Orthopedics (2) General Medicine (3) General Surgery (4) Poly Trauma
26	स्पाईन एण्ड स्कीन क्लीनिक, एच-21 ए टीवी टॉवर, मेन रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	Only General Orthopedic Treatment
27	संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बिलासपुर (छ.ग.)	1) General Medicine, (2) Obstetrics & Gynecology, (3) Orthopedics (4) Plastic Surgery
28	श्री बालाजी सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology (4) Cardiology (5) Obst. & Gynecology (6) CTVS, (7) Dermatology, (8) Plastic & Burn Surgery, (9) Uro-Surgery,

		(10) Joint Replacement, (11) Pediatrics' (12) Neurology (13)ENT and (14) Ophthalmology.
29	रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.)	(1) Orthopedics (2) Nuero-Surgery (3) Nephrology (4) Cardiology (5) Onco Surgery (6) Urology Procedures (7) CTVS (8) Gen. Laparoscopic Surgery (9) Neurology (10) Gastroenterology (11) Oncology (12)Renal Transplant (13) Internal Medicine (14)Pediatrics & Pediatric Surgery (15) Pulmonology (16) Gynecology 7 Obstetrics (17) Trauma & Critical Care
30	Urmila Memorial Hospital, Near new Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.)	(1) General Medicine, (2) Critical Care, (3) Anesthesia & Pain Management, (4) Obs & Gynae, (5) Radiology, (6) General Surgery (7) Pathology and (8) Orthopedic
31	अग्रसेन हॉस्पिटल, कृष्णा टाकीज के सामने, रामनाथ भीमसेन भवन रोड, समता कालोनी रायपुर	Single Specialty :- For Gen Orthopedic Surgery
32	Jain Dental Care & Implant Center, Beside Ashirwad Bhawan, Byron Bazar, Raipur (C.G.)	Dental Treatment से संबंधित रोग
33	Dr. Kumud Mohabey Memorial Hospital, Main Road, Baldeo Bagh, Rajnandgaon (C.G.)	(1) General Surgery (2) Orthopedics (3) Pediatrics and (4) Obstetrics & Gynecology
34	Mamta Super Specialty Hospital, Beside Mowa Police Station, Dubey Colony, Mowa, Raipur (C.G.)	(1) ENT (2) Pediatrics (3) Orthopedics (4) Obstetrics & Gynecology (5) General Medicine (6) General Surgery (7) Critical Care & Anesthesia
	चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति हॉस्पिटल, नेहलुनगर चौक,	(1) Total Surgery (2) Total Hop Joint Replacement (3) Knee Joint Replacement (4)Head Injury Requiring Operative Intervention (5) Comatose Condition

35	जी.ई. रोड, भिलाई, (छ.ग.)	(6) Spinal Surgery (7) Post Post Puerperal Complications (8) Injuries Caused by Industrial Accident Handling Agriculture Machines, Bomb Blast and Natural Calamities.
36	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, कलर्समॉल के सामने, न्यू धमतरी रोड, पचपेड़ी नाका, रायपुर, (छ.ग.)	Single Specialty:- Ophthalmology Treatment
37	रायपुर स्टोन क्लिनिक, कोर्ट के सामने, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty:- Lithotripsy
38	बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बैरन बाजार, रायपुर, (छ.ग.)	For Pediatrics Treatment
39	ओम नेत्र केन्द्र एण्ड लेजर विजन, सी- 108, टैगोर नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty- Ophthalmic Treatment
40	ASIM Super Speciality Dental Hospital, Near Axis Bank ATM, Santoshi Nagar Chowk, Raipur (C.G.)	1. Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery 2. Dept. of Perodontics 3. Dept. of Prosthodontics 4. Dept. of Orthodontics
41	Arpa Medcity Hospital & Research Institute, Near SBI Commercial Branch, Vyapar Vihar, Bilaspur (C.G.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Obstetrics & Gynecology (4) Orthopedics Pediatrics
42	धमतरी क्रिश्न हॉस्पिटल, रायपुर रोड, धमतरी, (छ.ग.)	For Multi Specialty
43	श्री कृष्णा नेत्रालय, सीएमडी कॉलेज मैदान के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)	Only Ophthalmic Treatment
44	Care N Cure SuperSpecialty Hospital, Old Pratap Talkies Campus, Pratap Chowk, Bilaspur (C.G.)	(1) Obst. & Gynecological, (2) Surgical Procedures & Emergencies.
45	Shree Radha Krishna Multi Specialty Hospital, Rani Sagar, Sarahgarh, Dist-Raigarh (C.G.)	(1) Obstetrics & Gynecology (2) General Medicine (3) General Surgery (4) Radio diagnosis (5) ENT
46	आशीर्वाद लेजर फेको आई हॉस्पिटल, आईजी ऑफीस रोड, अपेक्स बैंक के पीछे, नेहरु नगर चौक, बिलासपुर (छ.ग.)	For Ophthalmic Treatment Only
47	श्री अमृतम सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल जैन मंदिर के सामने, गंगा डायग्नोस्टिक के पास आम्बाली सोसाइटी, पचपेड़ी नाका रायपुर, (छ.ग.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Ophthalmology (4) Orthopedics (5) Critical Care
48	श्री नारायणा हॉस्पिटल, गंज मंडी के पास, सेक्टर-5 के पीछे, देवेन्द्र नगर, पंडरी रायपुर, (छ.ग.)	(1) Orthopedic (2) Neuro-Surgery (3) Nephrology (4) Plastic & Cosmetic Reconstruction Surgery (5) Pediatrics (6) Obst. & Gynec. (7) Ophthalmology (8) Cardiology (9)

		Urology.
49	आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड-2, बिलासपुर, (छ.ग.)	(1) General Surgery (2) General Medicine (3) Obst. & Gynecology (4) General Orthopedic (5) Pediatrics (6) E.N.T.
50	नमन हॉस्पिटल, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	(1) Oral and Maxillofacial Surgery (Minor Oral Surgical Procedures under local Anesthesia Only) Not Requiring post Surgical admission for recovery (2) Orthodontics and dentofacial Orthopedics (3) Prosthodontics and Crown and bridge उपचार हेतु
51	ओम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नियर एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़	(1) Orthopedics/Treatment of Trauma (2) Gen. Surgery (3) Maxillofacial Surgery (4) Burn & Plastic Surgery (5) Medicine (6) Pediatrics. (7) Obst. & Gynecology (8) Neurology
52	Sankalp Eye Hospital Bilaspur, Vaishali Nagar, Shrikan verma Marg, Bilaspur (C.G.)	Ophthalmology
53	अपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड आईव्हीएफ सेंटर, आर.के. मल्टीप्लेक्स के बाजू, अटल चौक, चांटा मुड़ा बाईपास रोड, रायगढ़ (छ.ग.)	(1) Gen. Surgery (2) Gen. Medicine (3) Obst. & Gynecology (4) Gen. Orthopedic
54	चन्दादेवी तिवारी हॉस्पिटल, सीटी कोतवाली के सामने, भाटापारा रोड, बालीदाबाजार (छ.ग.)	(1) General Surgery (2) Obstetric & Gynecology (3) General Medicine
55	पेटल्स न्यू बॉर्न एण्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, भीमसेन भवन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर छत्तीसगढ़।	General Pediatric Treatment सामान्य शिशुरोग उपचार हेतु
56	बिहान हॉस्पिटल, अंबुजा मॉल के पास, विधानसभा रोड, सड्डू, रायपुर, छत्तीसगढ़	(1) Medical, (2) Surgery and (3) Orthopedic
57	Aditya Hospital, Maternity Home, Old Mandi Road, Ganjpara, Mahasamund (C.G.)	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine (3) Orthopedic, (4) Obstetrics & Gyn. (5) Pediatrics (6) Critical Care
58	श्री मेडिशाईन हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, अमलीडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़	(1) Orthopedics (2) Neuro-Surgery (3) Nephrology (4) Obst. & Gynee.

59	कालडा बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, कलर मॉल के पास, पचपेड़ी नाका, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)	(1) Burn & Plastic Surgery (2) Nephrology (3) Urology (4) Neuro Surgery (5) Gen. Surgery (6) Obst. & Gynecology (7) Gen. Medicine (8) Gen. Orthopedic
60	श्रेयांस मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मेनरोड अवन्ति विहार, रायपुर (छ.ग.)	(1) Medicine Department (2) ENT Department (3) Orthopedics Department
61	Aarogyam Super Specialty Hospital & Research Center, NH 53, Opp. Toyota Showroom, Near D Mart, Durg Bypass Road, Kaadambhari Nagar, Durg (C.G.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Obstetric & Gynecology (4) Orthopedics
62	विवेकानंद आई हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर बूढ़ा तालाब गार्डन के पास, ब्रह्मपुरी रोड, रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty-Ophthalmology Treatment नेत्ररोग संबंधी उपचार
63	लाईफवर्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मेनरोड, समता कालोनी, रायपुर (छ.ग.)	For Multispecialty Facilities
64	बी.एम.शाह हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला भिलाई, (छ.ग.)	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine (3) Obst. & Gynecology , (4) Orthopedic (5) Pediatric, (6) Radiology & (7) Neurosurgery
65	सनसाईन मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, उत्तर वसुंधरा नगर, भिलाई-3, चरोदा, दुर्ग, (छ.ग.)	(1) General Medicine (2) Obstetric & Gynecology (3) General Surgery (4) Pediatric
66	शुक्ला मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल राजनांदागांव (छ.ग.)	(1) General Surgery, (2) General Medicine, (3) Orthopedic, (4) Obstetric & Gynecology (5) Pediatric
67	सद्भावना हॉस्पिटल, प्लॉट सी-1 सेक्टर-30, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)	1. Obstetric & Gynecology Orthopedic
68	Lakshmi Narayan Health Care, Khare Complex, Gudri Chowk, Ambikapur (C.G.)	General Medicine
69	श्री राम केयर हॉस्पिटल, अमेरी रोड, नेहरुनगर, बिलासपुर, (छ.ग.)	(1) Neuro Surgery (2) Cardiology (3) Orthopedic & Trauma (4) Obst. & Gynecology (5) Gen. Medicine (6) Gen. & Laparoscopic Surgery (7) ENT (8) Pediatric (9) Pediatric Surgery (10) ICU (11) Radiology (12) Maxillofacial (13) Surgery & Dental (14) Urology Treatment

70	शुभकामना हॉस्पिटल दुबे कॉलोनी मेन रोड रायपुर छ.ग.	Only Medicine Department
71	सर्वोदय हॉस्पिटल एवं प्रसूति केन्द्र, दुबे कॉलोनी, पुलिस थाना के पास, मोवा, रायपुर (छ.ग.)	1. Gen. Surgery 2. Obst. & Gynecology
72	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, भाले राव स्टेडियम, परशुराम चौक, जांजीर-धांपा (छ.ग.)	Only for Ophthalmic Treatment
73	साईबाबा आई हॉस्पिटल, छोटी लाइन के पास, फाफाडीह, रायपुर. (छ.ग.)	केवल Ophthalmology उपचार हेतु
74	गुप्ता हॉस्पिटल, मल्टीस्पेशलिटी रिसर्च एण्ड मेटरनेटी सेंटर, रत्नाबांधा रोड, धमतरी, (छ.ग.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) General Orthopedic (4) Obst. & Gynecology
75	महादेव सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्पलेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)	(1) Gen. Surgery (2) Gen. Medicine (3) Obst. & Gynecology (4) Gen. Orthopedic (5) Neuro Surgery (6) Pediatric
76	विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)	केवल सामान्य नेत्ररोग General Ophthalmology Treatment उपचार हेतु
77	Samda Superspeciality Hospital Kourin Bhata, Basantpur Road, Rajnandgaon (C.G.)	(1) General Surgery (2) General Medicine (3) Orthopedics (4) Obstetrics & Gynecology (5) Dental (6) Dermatology
78	Goodwill's Hospital, Siddharth Chowk, Tikrapara, Raipur (C.G.)	(1) General Medicine (2) General Surgery (3) Obstetrics & Gynecology (4) Orthopedics (5) ENT
79	रूपजीवन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर	ENT से संबंधित रोग
80	Shree Vignesh, Near Raipura Over Bridge, Raipura Chowk, Raipur (C.G.)	(1) Obstetrics & Gynecology and (2) Orthopedics
81	माखीजा हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)	(1) Pediatrics Surgery (2) Obstetric & Gynecology
82	श्री रेटीना केयर सुपरस्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल के ऊपर, मेनरोड, शंकर नगर चौक, रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty :- Ophthalmic Treatment
83	अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	केवल डायग्नोसिस उपचार हेतु।
84	Apollo Stone Clinic, Near Express Highway Flyover Devendra Nagar, Raipur (C.G.)	Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
85	फोर्टिस ओ.पी. ज़िंदल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रायगढ़, छ.ग.	(1) Neuro surgery (2) Orthopedic Procedures (3) Cardiology (4) CTVS

86	भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर, फाफाडीह चौक, रायपुर (छ.ग.)	Single Specialty: Radiological Investigation
----	--	--

-○:○:राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालय:○:-

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
1	SURTECH Hospital & Research Centre Ltd 13A, Banerjee Marg] Dhantoli Nagpur-440012 (M.S.)	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
2	Neeti Clinics Pvt. Ltd. Neeti Gaurav Complex, 21, Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur-10	Only for Head and Neck Surgery
3	प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल, धनश्री कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल हरदेव के पास, सीताबुल्दी, नागपुर-440012	For Heart Care Treatment.
4	Maditrina Institute of Medical Science 278 Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur- 440010	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
5	सर गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली- 110060.	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
6	स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, 31, ऑफ चितले मार्ग, हितवाड़ा प्रेस के पीछे, धनतौली, नागपुर- 440012	For Heart Care Treatment.
7	शेल्बी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नं -बी, स्कीम नं-5, अहिंसा चौक, कचनार रोड, विजय नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश	(1) Orthopedic & Joint Replacement Surgery, (2) Cardiology, (3) CTVS and Paediatric Cardiac Surgery. As per NABH Facilities only.
8	मेदांता द मेडिसीटी, सेक्टर-38, गुडगांव, हरियाणा	For Super speciality Treatment. As per NABH Facilities only.
9	जसलोक हॉस्पिटल, मुम्बई	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
10	सी.एम.सी. वेल्थोर।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
11	शंकर नेत्रालय, चेन्नई	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
12	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई (Apollo Hospitals Enterprise Limited चेन्नई की समस्त शाखाएँ)	-

13	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।	-
14	बत्रा हॉस्पिटल, नई दिल्ली।	-
15	लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई।	-
16	मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा, दिल्ली।	-
17	चोईथराम हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश	-
18	यशोदा हॉस्पिटल, हैदराबाद।	-
19	फोर्टिस एण्ड लाफ्रेस फोर्टिस हॉस्पिटल (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की समस्त शाखाएँ)	-
20	मैक्स देवकी हार्ट एण्ड वास्क्यूलर इंस्टीट्यूट, सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की समस्त शाखाएँ)	-
21	प्राइमस (सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल), चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।	-
22	मैक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, 1-प्रेस इन्क्लेव रोड, साकेत, प्रतापगंज, इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली।	-
23	Apollo Hospitals, Health City, Arolova Chinagadhili, Vishakhapatnam (A.P.)	केवल (1) Cardiology, (2) Cardio-Thoracic-Surgery, (3) Orthopedic & Joint Replacement, (4) Emergency & Critical Service, (5) Trauma Care, (6) General Medicine, (7) Laproscopic Surgery, (8) Urology, (9) Nephrology, (10) Neuro Surgery, (11) Plastic & Cosmetic Surgery, (12) Medical & Surgical Gastroenterology and (13) Organ Transplant. उपचार हेतु
24	मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नं-8, पीयू4, स्कीम न-54, विजयनगर स्क्वेयर, एबी रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश	For Super speciality Treatment. As per NABH Facilities only.
25	शेल्बी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी केयर, प्लॉट-5 एवं 6, आर.एस. भंडारी मार्ग, जंजीरवाला स्कॉयर के पास, इंदौर, मध्यप्रदेश।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार

26	शेल्बी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कर्नावटी क्लब के सामने, एस.जी.रोड, अहमदाबाद, गुजरात।	-
27	Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Insitute, Road No.-10, Banjara Hills, Hyderabad	-
28	Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital & Medical Research Institute, Four Banglows, Andheri (W), Mumbai-400053	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
29	बाम्बे हॉस्पिटल, मुम्बई।	-
30	नानावटी हॉस्पिटल, मुम्बई।	-
31	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।	-
32	पंडालिया कार्डियो- थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्नई।	-
33	Asian Institute of Gastroentrology, Hyderabad	-
34	मेडविन हॉस्पिटल, हैदराबाद।	-
35	Seven Hills Hospital, Vishakhapatanm.	-
36	Care Hospital, Vishakhapatanam.	-
37	एच.सी.एम.सी.टी. मनीपाल हॉस्पिटल्स (द्वारका) प्रा.लि. नं.-256, ओखला इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट फेस-3, नई दिल्ली।	-
38	OMNI RK Super Speciality Hospital, Waltar Road, Ramnagar, Opposite Lions Club, Visakhapatnam (A.P.)	केवल (1) Surgery, (2) Obstetrics & Gynaecology, (3) Medicine, (4) Orthopaedic & Paediatrics उपचार हेतु
39	Gleneagles Global Hospitals, 6-1-1070/1 to 4, Lakdi-Ka-pul, Hyderabad-500004, Telangana	(1) Hepatology & Hepato-Pancreatic Biliary Surgeries/Kiver Transplantation. (2) Gastrointestinal Diseases- Medical, Surgical & Laproscopic Surgeries, (3) Endobariatric, Metablic Disorders & Bariatric Surgery, (4) Renal Sciences & Kidney Transplant, (5) Cardiac Lung Diseases, (6) Advanced Lung Diseases and (7) Stem Cell Therapy

40	Apollo Hospital Jubilee Hills, Hyderabad	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
41	Dhantoli, Nagpur-440012 (M.S.)	-
42	PGIMER-Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh	-
43	P.D. Hinduja National Hospital & Medical Research Centre, Mumbai	-
44	Breach Candy Hospital, Mumbai	-
45	Apollo Hospital, Secunderabad	-
46	Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry	-
47	Apollo Hospital Velapur, Navi Mumbai	-
48	Manipal Hospital Old Airport Road, Bengaluru	-
49	Safdarjung Hospital, New Delhi	-
50	Fortis Memorial Research Institute, Gurugram	-
51	Fortis Hospital Mulund, Mumbai	-
52	Care Institute of Medical Science, Ahmedabad	-
53	Saifee Hospital, Mumbai	-
54	Aster CMI Hospital, Bengaluru	-
55	BGS Gleneagles Global Hospital, Bengaluru	-
56	Kauvery Hospital, Chennai	-

57	Apollomedics Super Speciality Hospital, Lucknow	-
58	AMRI Hospital Salt Lake, Kolkata	-
59	Fortis Hiranandani Hospital, Navi Mumbai	-
60	Madras Medical Mission Hospital, Chennai	-
61	Dr. LH Hiranandani Hospital, Mumbai	-
62	Global Hospital, Mumbai	-
63	Fortis Hospital, Nagarbhavi	-
64	Star Hospital Unit Of Unimed Health Care Pvt. Ltd. 2-74, Survey No.74 Nanakrmgoda Serlingampally Hyderabad, Telengana	-
65	New Era Mother & Child Hospital Nagpur	-
66	New Era Hospital & Research Institute Nagpur	-

2/ राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम-10(7) अनुसार आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा उपचार उपरांत, मुख्यालय लौटने की तिथि से 07 दिवस के भीतर, अपने नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को सूचित किया जाना आवश्यक होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3/ राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच/उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे। आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम-10(7) अनुसार आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा उपचार उपरांत, मुख्यालय लौटने की तिथि से 07 दिवस के भीतर, अपने नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को सूचित किया जाना आवश्यक होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4/ उपरोक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

5/ उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव में ईलाज में लापरवाही नहीं की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Lavina Pandey
Date: 13-05-2026
13:22:37

लविना पाण्डेय
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. क्रं. GENS-1902/79/2026-MED-328290, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 13-05-2026

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. माननीय महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. सचिव, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, लोकभवन, रायपुर,
11. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, नवा रायपुर, अटल नगर,
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़,
13. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़,
14. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली,
15. रजिस्ट्रार, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
16. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर,
17. संचालक स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर अपने विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु,

18. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर,
19. निज सहायक, समस्त मान. मंत्री/मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर,
20. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अनुसूचित जाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/ अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
21. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर,
22. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
23. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
24. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/राजनांदगांव/अंबिकापुर/जगदलपुर/कोरबा/कांकेर/महासमुन्द, छत्तीसगढ़,
25. संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/राजनांदगांव/अंबिकापुर/जगदलपुर/कोरबा/कांकेर/महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
26. प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय/फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर,
27. प्राचार्य, समस्त शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
28. प्राचार्य, समस्त शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
29. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
30. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
31. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु,
32. संबंधित चिकित्सालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
33. स्टाक फाईल।

Sd/-

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

5/10



छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु कैशलेस उपचार सुविधा

दिनांक: 29 जुलाई 2026

विषय-वस्तु

1. प्रस्तावना (Introduction)
2. कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु लाभार्थी (Beneficiaries)
3. कैशलेस उपचार हेतु निजी अस्पतालों का मान्यता एवं पंजीयन (Empaneled Health Care Providers)
4. प्रतिपूर्ति की सीमा एवं उपचार की दर (Benefit Package)
5. योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु E-Health Card
6. आई० टी० प्लेटफॉर्म
7. उपचार प्राप्त करने तथा क्लेम की प्रक्रिया (Claim Processing and Treatment)
8. शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System)
9. नोडल विभाग एवं प्रबंधन (Nodal Department and Management)
10. वित्तीय व्यवस्था (Financial Provisions)
11. वर्तमान एवं प्रस्तावित प्रक्रिया की तुलना

प्रस्तावना

• छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के अनुसार उपचार हेतु चिकित्सा व्यय पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं।

• वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है, एवं उपचार उपरांत व्यय देयकों को जमा करने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाती है।

• चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी एवं जटिल होने के कारण के कारण देयकों के प्रतिपूर्ति में विलंब होता है,

अतः शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 'कैशलेस चिकित्सा सुविधा' लागू किए जाने से सरलीकृत उपचार का प्रदाय किया जा सकेगा।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु लाभार्थी की परिभाषा

- 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम - 2 के उपनियम-1 में उल्लेखित शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य उक्त योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु पात्र होंगे।
- शासकीय सेवक के परिवार से अभिप्रेत है, कि जैसा कि 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम - 3 के कंडिका-घ में परिभाषित किया गया है।

2.

विस्तार तथा लागू होगा :- (1) ये नियम विमर्शलिखित पर लागू होंगे :-

- (क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कार्य पर हों व प्रविर्द्धिभूमि पर हों या प्रविर्द्धिभूमि ही ना इट्टरी पर हों या निलम्बनाधीन हों या उतौसगढ़ राज्य के बाहर अदरध हों,
 - (ख) सर्विदा के आधार पर निवर्द्धित कर्मचारी,
 - (ग) प्रविर्द्धिभूमि या कर्तव्यभूमि नगर सैनिक,
 - (घ) अकासिकता स्यारना से वेतन माने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,
 - (ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रदरध को गई परिचोदकओं में मासिक वेतन पर नित्ता निवर्द्धित कार्यभारिता स्थान (वर्क-चार्ज एस्टेब्लिशमेंट) के सदस्य,
 - (च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, एआईआर 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/बातों आदेशों/उपान्तों के अधधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।
- (2) ये नियम विमर्शलिखित पर लागू नहीं होंगे :-
- (क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,
 - (ख) अंशकालिक कर्मचारी,
 - (ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,
 - (घ) ईनिक वेतन धेगी कर्मचारी,
 - (ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

Source - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु लाभार्थी की परिभाषा

- शासकीय सेवक के परिवार से अभिप्रेत है, कि जैसा कि 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम - 3 के कंडिका-घ में परिभाषित किया गया है।

(घ) "परिवार" से अभिप्रेत है:-

- (एक) कर्मचारी को पत्नी या उसका पति;
- (दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिवत रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सौतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं;
- (तीन) यदि तलाक़प्राप्त पुरो (पुत्रियां) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, तो उसे उन्हें चिकित्सा धर्तृपूर्वों के प्रयोजन के लिये इस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;
- (चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साक्षात्प्रातः वर्ष पर निवास करते हैं और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनको आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो;

कैशलेस उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय

- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से अभिप्रेत है, जैसा कि - 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम-3 (घ) में परिभाषित किया गया है।
- उपरोक्तानुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक- क:GENS-19/11/2025/MED/55, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08-05-2025 अनुसार राज्यांतर्गत कुल 134 एवं राज्य के बाहर कुल 64 निजी चिकित्सालय मान्यता प्राप्त हैं।
- योजना अंतर्गत नए अस्पतालों को पात्रता एवं आवश्यकतानुसार पंजीकृत किया जा सकेगा।

(घ) 'चिकित्सालय' से अभिप्रेत है-

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमति चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य

चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अन्तर्गत

चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

कैशलेस उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय

- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से अभिप्रेत है, जैसा कि - 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम-3 (च) में परिभाषित किया गया है ।
- उपरोक्तानुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक- क:GENS-19/11/2025/MED/55, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08-05-2025 अनुसार राज्यांतर्गत कुल 134 एवं राज्य के बाहर कुल 64 निजी चिकित्सालय मान्यता प्राप्त हैं ।
- योजना अंतर्गत नए अस्पतालों को पात्रता एवं आवश्यकतानुसार पंजीकृत किया जा सकेगा ।

उपचार की दर

- उपचार की दर - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम -8 अनुसार केंद्रीय शासन स्वास्थ्य सेवायें, नई दिल्ली के बी-1 श्रेणी के शहर हेतु समय-समय पर CGHS के निर्धारित अद्यतन पैकेज अनुसार की जाएगी।

8. उपचार की दर - निजी चिकित्सालय में अंत-रोगी के रूप में कराये गये निदान एवं उपचार पर उष्णत व्यय की प्रतिपूर्ति, केंद्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली द्वारा बी-1 श्रेणी के शहर हेतु समय-समय पर निर्धारित दस अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक की जाएगी। जहां सुविधाओं की दस केंद्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निर्धारित नहीं की गई हों, तो ऐसी दशा में राज्य शासन, दस निर्धारित कर सकेगा।

Source - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

कैशलेस उपचार प्राप्त करने की प्रक्रिया

योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का E-Health Card

- कैशलेस उपचार का लाभ लेने हेतु 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के नियम - 2 के उपनियम-1 अनुसार शासकीय सेवक एवं नियम-3 (च) अनुसार परिवार के आश्रित सदस्य जो इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी हैं, कि पात्रता का वेरिफिकेशन उपरान्त E-Health Card पंजीयन किया जाएगा।
- शासकीय सेवक के **Employee ID** एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के **आधार कार्ड** के अनुसार पात्रता का परीक्षण एवं वेरिफिकेशन संबंधित डीडीओ के माध्यम से किया जाना होगा।
- E-Health Card पंजीयन संबंधी पात्रता निर्धारण का दायित्व विभागाध्यक्ष कार्यालयों का होगा।
- उक्त कार्य हेतु **Beneficiary Identification System (IT Platform)** NIC के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

उपचार प्राप्त करने की प्रक्रिया

- कैशलेस उपचार योजना में पात्र लाभार्थी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत चिकित्सालय में **E-Health Card** के माध्यम से कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। अस्पताल में किसी प्रकार की भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।
- लाभार्थी के **E-Health Card** के माध्यम से **Bio-authentication** किया जायेगा, अस्पताल द्वारा योजना अंतर्गत “निर्धारित पैकेज दरों” पर ‘Preauthorization’ लेकर उपचार किया जाएगा।
- उपचार उपरांत अस्पताल द्वारा **Transaction Management System** में उपचार के दस्तावेजों के साथ वलेम प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें **TPA/चिकित्सकों/विशेषज्ञों** के परीक्षण उपरांत भुगतान किया जा सकेगा।

आई० टी० प्लेटफार्म

- कैशलेस उपचार के क्रियान्वयन हेतु National Health Authority द्वारा प्रदाय किए गए IT-Platforms का उपयोग कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा -

1. **BIS (Beneficiary Identification System)** - पात्र लाभार्थियों का E-Health Card बनाये जाने हेतु -
2. **HEM 2.0 (Hospital Empanelment Module)** - अस्पताल पंजीयन हेतु ।
(आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत अनुबंधित अस्पताल इस योजना हेतु स्वतः अनुबंधित (deemed empanelled) माने जायेंगे)
3. **Transaction Management System** - अस्पतालों द्वारा उपचार प्रक्रिया के दौरान उपचार पैकेज की अनुमति (Preauthorization), क्लेम प्रोसेसिंग एवं उनके भुगतान

शिकायत निवारण प्रणाली

- लाभार्थी/ अस्पतालों से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु फ्री कॉल सेंटर/ पोर्टल पर निम्नानुसार शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा -

1. पात्र लाभार्थियों के द्वारा पंजीकृत अस्पताल में उपचार प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के शिकायत पर।
2. अस्पतालों द्वारा पंजीयन/भुगतान इत्यादि के सम्बंध में शिकायत होने पर

नोडल विभाग एवं प्रबंधन

- योजना के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – नोडल विभाग होगा, जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन एक 'पृथक सेल' का गठन किया जावेगा।
- जिसके अंतर्गत – नोडल अधिकारी, 03 चिकित्सक, 02 अकाउंट ऑफिसर, 03 आई टी मैनेजर/प्रोग्रामर, 06 डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं 04 सहायक स्टाफ की पदस्थापना की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त क्लेम परीक्षण हेतु TPA तथा चिकित्सा विशेषज्ञ (DME द्वारा नामांकित) की आवश्यकता होगी।
- Preauthorization एवं क्लेम प्रोसेसिंग कार्य हेतु आवश्यकतानुसार TPA का सहयोग लिया जावेगा।

वित्तीय व्यवस्था

- कैशलेस उपचार योजना अंतर्गत देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद से किया जाएगा ।

- पूर्व वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद अंतर्गत राज्य शासन का वार्षिक व्यय भार 220 से 230 करोड़ रुपये अनुमानित है । इसके अतिरिक्त क्लेम प्रोसेसिंग, आई टी प्लेटफ़ॉर्म, प्रशासनिक प्रबंधन हेतु पृथक से बजट स्वीकृत किया जाना होगा, जिसका अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है ।

- राज्य शासन द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु वर्तमान वित्तीय बार 2026-27 में रु. 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है ।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति की Claim Amount अनुसार जानकारी

Sr.No.	Financial Year	No.of Employee	Reimbursement Amount (In Cr.)	No.of Employee who Reimbursed upto 5 Lakh in a Year	Amount (In Cr.)	No.of Employee who Reimbursed Above 5 Lakh in a Year	Amount (In Cr.)
1	2	3=5+7	4=6+8	5	6	7	8
01	2019-20	12117	122.86	11964	90.59	153	22.27
02	2020-21	11769	118.45	11566	93.12	203	25.33
03	2021-22	14607	177.06	14247	135.91	360	41.14
04	2022-23	15144	176.05	14803	132.77	341	43.28
05	2023-24	16080	185.08	15672	142.61	408	42.47

- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों के परीक्षण के दौरान औसतन 10% क्लेम प्रकरण Reject होते हैं।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की वर्षवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ में)
1	2021-22	118.45
2	2022-23	177.06
3	2023-24	176.05
4	2024-25	225
5	2025-26	221 (प्रावधानित)

**छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था एवं प्रस्तावित
कैशलेस प्रकरण प्रसंस्करण की तुलनात्मक जानकारी**

क्र.	बिंदु	वर्तमान प्रक्रिया	प्रस्तावित प्रक्रिया
1	उद्देश्य	शासकीय कर्मचारियों एवं उनके पात्र आश्रितों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करना।	शासकीय कर्मचारियों एवं उनके पात्र आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना।
2	हितग्राही	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रित परिवारजना	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रित परिवारजना
3	सुविधा का स्वरूप	उपचार उपरांत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अथवा उपचार पूर्व स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम।	सूचीबद्ध अस्पतालों में पूर्णतः कैशलेस उपचार।
4	भुगतान व्यवस्था	कर्मचारी प्रारंभ में स्वयं व्यय करता है (चिकित्सा अग्रिम को छोड़कर), तत्पश्चात शासन से प्रतिपूर्ति प्राप्त करता है।	अस्पताल को सीधे TMS के द्वारा भुगतान किया जाता है। हितग्राही को स्वीकृत सेवाओं हेतु कोई भुगतान नहीं करना पड़ता।
5	अस्पताल की पात्रता	शासकीय अस्पताल एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताला।	शासकीय एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के साथ आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल।
6	रेफरल व्यवस्था	सामान्यतः अधिकृत शासकीय चिकित्सा अधिकारी का रेफरल आवश्यक (निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर)।	रेफरल की आवश्यकता नहीं। हितग्राही सीधे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकता है।
7	पूर्व स्वीकृति (Pre-auth.)	चिकित्सा अग्रिम एवं कुछ विशेष उपचारों के लिए आवश्यक।	निर्धारित पैकेजों के लिए उपचार पूर्व ऑनलाइन प्री-ऑथराइजेशन अनिवार्य।

क्र.	विदु	वर्तमान प्रक्रिया	प्रस्तावित प्रक्रिया
8	पैकेज प्रणाली	निर्धारित CGHS दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति।	निर्धारित CGHS दरों के अनुसार अस्पतालों को भुगतान।
9	दावे का आधार	नियमों के अनुसार स्वीकार्य चिकित्सा व्यय।	निर्धारित पैकेज राशि के आधार पर अस्पतालों को भुगतान।
10	दावा प्रस्तुतकर्ता	कर्मचारी।	अस्पताल।
11	दावा प्रसंस्करण प्राधिकारी	विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (नियंत्रण अधिकारी, सिविल सर्जन, संचालनालय, स्वास्थ्य विभाग आदि, राशि के अनुसार)।	अस्पताल → TMS (Transaction Management System) के माध्यम से भुगतान।
12	आवश्यक दस्तावेज	बिल, चिकित्सकीय पर्चे, रेफरल, डिस्चार्ज सारांश, प्रमाणपत्र, नकद रसीद, अनुमोदन एवं प्रतिपूर्ति आवेदन।	E-Health Card, आधार/पहचान सत्यापन, प्री-ऑथराइजेशन, चिकित्सकीय अभिलेख, डिस्चार्ज सारांश एवं डिजिटल क्लेम दस्तावेज।
13	चिकित्सा अग्रिम	निर्धारित सीमा तक उपलब्ध।	चिकित्सा अग्रिम का प्रावधान नहीं; उपचार स्वयं कैशलेस है।
14	प्रसंस्करण अवधि	विभागीय परीक्षण एवं अनुमोदन पर निर्भर; सामान्यतः अधिक समय लगाता है।	दिश-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध डिजिटल प्रक्रिया।
15	वित्तीय दायित्व	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का व्यय कर्मचारी के विभाग द्वारा किया जाता है।	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का व्यय राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
16	ऑडिट व्यवस्था	विभागीय वित्तीय एवं प्रशासनिक परीक्षा।	मेडिकल ऑडिट, क्लेम ऑडिट, प्रॉड एनालिटिक्स, फ्रीड ऑडिट, AI आधारित ट्रिगर विश्लेषण एवं NAFU द्वारा निगरानी।
17	घोखाधड़ी नियंत्रण	मैनुअल सत्यापन एवं प्रशासनिक परीक्षण।	तकनीक आधारित प्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल ऑडिट, अस्पताल निरीक्षण एवं दंडात्मक कार्यवाही।
18	आईटी प्लेटफॉर्म	मुख्यतः मैनुअल/विभागीय प्रक्रिया।	ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के माध्यम से पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया।
19	अपील/विवाद निवारण	विभागीय प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से।	ऑनलाइन क्वेरी, पुनः प्रस्तुतीकरण (Resubmission), शिकायत निवारण एवं अपील व्यवस्था।

धन्यवाद

डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता

नवीनतम
संस्करण

छत्तीसगढ़
सिविल सेवा
(चिकित्सा परिचर्या)
नियम, 2013

Chhattisgarh
Civil Services
(Medical Attendance)
Rules, 2013

नियम
हिन्दी व अंग्रेजी
दोनों भाषा में



श्री साई लॉ एजेंसी

शास. नियमों एवं अधिनियम पुस्तकों के विक्रेता एवं गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लायर
महमंदरा धाट, सत्यम विहार छावनी, गली नं.-5, रायपुर, रायपुर (छ.ग.)

फोन - 9926894768, 9691772903

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013¹

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/SS, दिनांक 14 मार्च, 2013—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013" कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख² से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार तथा लागू होना—(1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय संघक, जहाँ वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिशमेंट) के सदस्य,

(च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्याधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) अंशकालिक कर्मचारी,

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित।

2. दिनांक 3-4-2013 से प्रभावी।

- (ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,
- (घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,
- (ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

3. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 3(ज) के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;
- (ख) "आयुष" से अभिप्रेत है आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;
- (ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है नियम 2 के उप-नियम (1) के अंतर्गत यथा परिभाषित व्यक्ति;
- (घ) "परिवार" से अभिप्रेत है:—

- (एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति;
- (दो) कर्मचारी के माता-पिता, ¹[* * *] पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सीतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं;
- (तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियाँ) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, तो उसे/ उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;
- (चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणतः वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनको आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो;

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा-पत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता-पिता उस पर ही पूर्णतः आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

- (पाँच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेंशनर माता-पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

²[स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन हेतु परिवार के सदस्य, शासकीय सेवक

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 21-05/2010/नौ/55-4, दिनांक 25 जुलाई, 2015 द्वारा शब्द "अवयस्क" विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जुलाई, 2015 को पृष्ठ 801 पर प्रकाशित।
2. चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 21-05/2010/नौ/55-4, दिनांक 25 जुलाई, 2015 द्वारा अन्तःस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जुलाई, 2015 को पृष्ठ 801 पर प्रकाशित।

पर "पूर्णतः आश्रित" माने जायेंगे, यदि वे सामान्यतः उक्त शासकीय सेवक के साथ निवास करते हों तथा परिवार के उक्त सदस्य को वृत्त मासिक आय रु. 3050 (तीन हजार पचास रुपये) तथा राज्य शासन के पेंशनरों को विचार्य तिथि पर अनुज्ञेय पेंशन एवं महंगाई भत्ता से अधिक न हों।]

(इ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) "चिकित्सालय" से अभिप्रेत है—

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(छ) "चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय" से अभिप्रेत है शासकीय एलोपैथिक, दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

(ज) "चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, निविदित सर्जन, चिकित्सालय में पदस्थ विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी या आयुष सहायक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालयों के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी (कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर) और इसमें चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय के अध्यापक संवर्ग के ऐसे सदस्य भी सम्मिलित हैं, जो ऐसे महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार करते हों;

(झ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ञ) "विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा)" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक, जिसमें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा, में उल्लिखित रोगों का उपचार (चिकित्सा) और/या शल्य चिकित्सा (सर्जरी);

(ट) "उपचार (चिकित्सा)" से अभिप्रेत है चिकित्सालय, जहां कर्मचारी का उपचार किया जा रहा हो, में उपलब्ध तथा प्रयुक्त समस्त चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा, सुविधायें और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(एक) रोग संबंधी (पैथोलॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टीरियोलॉजिकल), एक्स-रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग या ऐसे किसी अन्य निदान का उपयोग जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/परिचारक द्वारा आवश्यक समझा जाये;

(दो) ऐसी औषधियाँ, टीकों (वैक्सीन), सिरम तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति, जो सामान्यतः चिकित्सालय में उपलब्ध हों;

(1) बाह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरान्त संपूर्ण व्यय, किन्तु—

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए—

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1.	1,500/-	नियंत्रण अधिकारी	3 माह के अंदर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2.	1,501/- से 5,000/- तक	जिलों के लिये—यथास्थिति, सिविल सर्जन/ जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये—अधीक्षक/ उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
3.	5,001/- से 25,000/- तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ/जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ	
4.	25,001/- से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

(2) अंतः रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;

(3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7(1)(दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्ररूप में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप—ऐसे प्रमाण-पत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि

(6) केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएँ ही फालो-अप उपचार हेतु मान्य होगी, इस संदर्भ में आवश्यकतानुसार, सक्षम स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी।

[(7) आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा उपचार प्रारंभ करने से 72 घंटे की समय-सीमा के भीतर, नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।]

11. कार्योत्तर स्वीकृति—(1) आकस्मिक परिस्थितियों में, राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के प्रकरण में, कार्योत्तर स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी। कार्योत्तर स्वीकृति के अभाव में, ऐसे प्रकरणों में उपचार में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरण, कर्मचारों के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षण करने के उपरान्त, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को भेजे जायेंगे, जिनका निराकरण गुण/दोष के आधार पर करते हुए, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जायेगी।

(3) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर गैर मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरण, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष की अनुशंसा से राज्य शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निराकरण के लिये भेजे जायेंगे।

(4) संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष, कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के परीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकेंगे।

(5) राज्य शासन स्तर पर कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नलिखित समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:—

- | | |
|--|-----------|
| 1. प्रमुख सचिव/सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | — अध्यक्ष |
| 2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा | — सदस्य |
| 3. संचालक, आयुष | — सदस्य |
| 4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ | — सदस्य |
| 5. वित्त विभाग का प्रतिनिधि
(जो उप सचिव की श्रेणी से निम्न का अधिकारी न हो) | — सदस्य |
| 6. दो, विषय विशेषज्ञ
(राज्य शासन द्वारा नामांकित) | — सदस्य |

1. अधिसूचना क्र. एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 8 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-4-2022 को पृष्ठ 651 पर प्रकाशित। प्रतिस्थापन के पूर्व उप-नियम(7) निम्नानुसार था:—

“(7) आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा, उपचार प्रारंभ करने से 48 घण्टों की समय-सीमा के भीतर यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक आयुष तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।”

सकेगा। इसके लिए, कर्मचारी द्वारा संबंधित चिकित्सालय से प्राप्त व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) चिकित्सा अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जायेगा, जहाँ रोगी का उपचार, राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंतः-रोगी के रूप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो तथा प्रकरण में रिकरल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में रुपये 30,000/- अथवा इससे अधिक और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में रुपये 15,000/- अथवा इससे अधिक के अनुमानित चिकित्सा व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।

(4) स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम, संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जायेगा।

(5) चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन, अग्रिम प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा, अन्यथा कर्मचारी के वेतन से देयक (वकाये) को वसुली का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(6) चिकित्सा अग्रिम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा कर्मचारी के आय के अन्य स्रोत से वसूल की जायेगी।

(7) अग्रिम राशि का आहरण, वास्तविक आवश्यकता के 15 दिवस पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

(8) यह प्रत्यायोजन विदेशों में कराई गई चिकित्सा (उपचार) पर लागू नहीं होगी।

10. जाँच (परीक्षण)/उपचार हेतु रिफरल—(1) कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के रोगों को जाँच/उपचार सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय/आयुष औषधालय, जिला आयुष चिकित्सालय में कराना होगा।

(2) उक्त केन्द्रों में वांछित सुविधाएँ उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में रिफर कर सकेंगे।

(3) चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जाँच उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे।

(4) स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएँ तथा पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) नीति के अंतर्गत संचालित संस्थाएँ शासकीय सेवकों के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी, उक्त संस्थाओं में उपचार हेतु रिफरल की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालय भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय समझे जायेंगे।

FORM OF APPLICATION FOR MEDICAL REIMBURSEMENT

(See Rule 8 (1))

(N.B. Separate form should be used for each patient)

1. Name and designation of the Government servant (in block letter)
2. Office in which employed
3. pay of the Government servant as defined in the Fundamental Rules, and any other emoluments, which should be shown separately
4. place of duty
5. Actual residential address
6. Name of the patient and his/her relationship to the Government servant.
(in the case children, give the following information also namely) :-
 - (i) Date of birth
 - (ii) Number in order of birth
 - (iii) Total number of children
7. Place at which patient fell ill
8. Nature of illness and its duration
9. Details of the amount claimed :-

I-MEDICAL ATTENDANCE :-

- (i) Fees for consultation indicating :-
 - (a) The name and designation of the Medical Officer consulted and the hospital or dispensary to which attached.
 - (b) The number and dates of consultations and the fees paid for each consultation.
 - (c) Whether consultations were held at the hospital, the consulting room of the Medical Officer or at the residence of the patient.
- (ii) Charges for pathological, bacteriological, radiological or other similar tests undertaken, during diagnosis indicating :-
 - (a) The name of the hospital or laboratory where the tests were undertaken, and
 - (b) Whether the tests were undertaken on the advice of the authorised medical attendant, and if so, a certificate to that effect should be attached.
- (iii) Cost of medicines purchased from the market
(List of medicines, cash memos and the essentiality certificate should be attached)

II- HOSPITAL TREATMENT :-

Charges for hospital, treatment, indicating separately the charges for -

- (i) Accommodation (state whether it was according to the status of pay of the Government servant and in cases where the accommodation is higher than the status of the Government servant, a certificate should be attached to the effect that the accommodation to which he was entitled was not available.
- (ii) Diet
- (iii) Surgical operation or medical treatment
- (iv) Pathological, bacteriological, radiological or other similar tests indicating
 - (a) The name of the hospital or laboratory at which undertaken and
 - (b) Whether undertaken on the advice of the Medical Officer in-charge of the case at the hospital if so a certificate to that effect should be attached.
- (v) Medicines
- (vi) Special medicine
(List of medicines, cash memos and the essentiality Certificate should be attached)
- (vii) Ordinary nursing
- (viii) Special nursing, i.e., nurses, specially engaged for the patient. State whether they were employed on the advice of the medical Officer in-charge of the case at the hospital or at the requests of the Government servant or patient. In the former case a certificate from the M. O. in-charge of the case and countersigned by the Medical Superintendent of the hospital should be attached.
- (ix) Any other charges e.g., charges for electric lights, fans, heaters, air conditioning etc. State also whether the facilities referred to are a part of the facilities normally provided to all patients and no choice was left to patient.

Note :- If the treatment was received by the Government servant at his residence, give particulars of such treatment and attach a certificate from the authorised medical attendant.

10. Total amount claimed

11. List of enclosures

Declaration to be signed by the Government servant

I HEREBY DECLARE THAT the statements in application are true to the best of my knowledge and belief and that the person for whom medical expenses were incurred is wholly dependent upon me.

Date: 201

Signature of the Government servant
and Office to which attached

1

FORM II
Form of Essentiality Certificate
 (See Rule 8 (2))

A-in case of medicines not included in the Priced Vocabulary of the Medical Stores Depot

Certified that Shri/Shrimati/Kumari.....

Son/Wife/Daughter of Shri.....
 employed in the has been under my treatment
 from to for (Name of the disease)
 as the hospital as indoor/outdoor patient and that the
 undermentioned medicines have been prescribed by me in this connection. These medicines are not included in the
 Priced Vocabulary of the Medical Stores, nor are they preparations which are primarily food, toilets or disinfectant. These
 medicines were absolutely essential for the treatment of the aforesaid patient.

Name of Medicines

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

Signature and designation of the authorised Medical attendant/
 Signature of the Medical Officer i/c. of the case at the hospital

B-In case of Medicines included in the Priced Vocabulary of the Medical Stores Dept

I Certify that Shri/Shrimati/Kumari.....

Son/Wife/Daughter of Shri.....
 employed in the has been under my treatment
 from to for (name of the disease)
 at the hospital as indoor/outdoor patient and that the undermentioned
 medicines have been prescribed by me in this connection. These medicines are not included in the Priced Vocabulary
 of the medical Stores and are out of stock/not available in the hospital
 (They do not include any medicines proprietary or otherwise outside the aforesaid Priced Vocabulary: not are they
 preparations which are primarily food, toilets or disinfectants)

Name of medicines (1)	P.V.M.S. No. (2)	Cost (3) Rs. p.
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		

Signature and designation of the authorised Medical attendant/
 Signature of the Medical Officer i/c. of the case at the hospital

C-In Case of Insulin Treatment

CERTIFIED THAT Shri/Shrimati/Kumari.....

Son/Wife/Daughter of Shri/Shrimati.....

has been under my treatment for diabetes at my hospital and that insulin prescribed by the

..... was for treatment during the initial stage/in the
hospital of the disease for which no reimbursement has been made extending over the period from

..... the patient having
developed complications necessitating hospitalisation.

Authorised Medical Attendant/
Medical Officer i/c. of the case at the hospital

विकास आयुक्त कार्यालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 5178 / विआका / 2024
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/12/2024

1. संचालक,
ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
निमोरा, रायपुर ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त, छत्तीसगढ़ ।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत ।

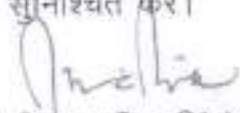
संदर्भ:- विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र. 1954/वि-2/स्था/2020, दिनांक 10.07.2020 एवं पत्र क्र. 511/वि-2/प्रशि.स्था.-115/224, दिनांक 05.02.2024.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र-1 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक विकास विस्तार अधिकारियों/विकास विस्तार अधिकारी को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अधिकार प्रदत्त किया गया था। इसी प्रकार संदर्भित पत्र-2 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को जिनका नियुक्ति प्राधिकारी विकास आयुक्त है, उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर को अधिकार प्रदत्त किया गया था।

2/ उक्त दोनों निर्देशों को अधिकमित (निरस्त) करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनका नियुक्ति प्राधिकारी विकास आयुक्त है, उनके समयमान वेतनमान से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा किया जावेगा।

3/ अतः उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करते हुए उपरोक्तानुसार समयमान वेतनमान से संबंधित समस्त लंबित प्रकरण अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।


(निहारिका बारिक सिंह)
विकास आयुक्त

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

12/12/24

//2//

पृ.कमांक 5715/विआका/2024
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/12/2024

1. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिर विकास आयुक्त 31.12.24
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / FINACC-38029/4/2026-Finance

दिनांक 01/01/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भारतीय स्टेट बैंक के "State Government Salary Package" के संबंध में।

महोदया/महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ "State Government Salary Package" के तहत 22 दिसम्बर 2025 को एक MoU पर हस्ताक्षर किया गया है जो कि दिनांक 04.01.2026 से लागू होगा।

2/ इस MoU के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का Air Accident Insurance (AAI), राशि रु. 100 लाख का Personal Accident Insurance (PAI) एवं राशि रु. 10 लाख का Group Term Life (GTL) Insurance आदि निःशुल्क सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा Rupay Card के माध्यम से अतिरिक्त बीमा राशि भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा एवं Health Insurance में Top-Up रियायती दरो पर उपलब्ध रहेगा। समस्त सुविधाओं का विस्तृत विवरण MoU में संलग्न है।

3/ वित्त विभाग द्वारा संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप राज्य के सभी SBI खाताधारक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण SBI को उपलब्ध करा दिया गया है।

4/ अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें तथा SBI में वेतन खाते को State Government Salary Package Account में बैंक द्वारा परिवर्तित किए जाने की पुष्टि अपने बैंक शाखा से कराने हेतु परामर्श देने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

शीतल शाश्वत
1.1.26
(शीतल शाश्वत वर्मा, IRS)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग



1. राज्यपाल के सचिव, लोकभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, विधानसभा के पास, रायपुर
9. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-17, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
15. संचालक, कोष एवं लेखा, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला/संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर
-को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट <https://finance.cg.gov.in/> पर अपलोड करने हेतु।
22. आर्डर बुक संधारण हेतु।

शीतल शाश्वत
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU), executed on 22.12.25 between **State Government of Chhattisgarh**, represented by Secretary, Finance Department, Government of Chhattisgarh, having its Headquarters at **Raipur** (hereinafter called the "**State Government of Chhattisgarh**" or "the first party" which expression shall unless the context otherwise requires, include its successors, and permitted assigns of the ONE PART

AND

State Bank of India (SBI), a body corporate constituted under the State Bank of India Act 1955 and carrying on the business of banking, having its Corporate Centre at State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai (hereinafter called "SBI" or the "Bank" or the "Second Party" which expression shall unless the context otherwise requires, include its successors in business) through **Shri Rakesh Kumar Sinha, DGM (B & O) State Bank of India, AO Raipur**

WHEREAS

- a) SBI possessing technologically advanced infrastructural facilities has offered to provide banking services as detailed in the MoU and Annexures to the State Government of Chhattisgarh permanent employees maintaining their salary accounts with the Bank.
- b) The **State Government of Chhattisgarh** in its efforts to make available modern banking facilities to its permanent employees has decided to accept the proposal submitted by SBI.

SBI and State Government of Chhattisgarh are individually referred to as "Party" and collectively as "Parties".

Now therefore this Memorandum of Understanding witness as under:

Both parties have agreed as follows:

1. Period of MOU:

This MOU shall be operative for a period of three years w.e.f. and will be in force, unless terminated earlier or till the next MoU is signed, as mutually agreed by both parties. However, the MOU shall be reviewed by SBI every year for any amendment/ addition/ deletion of features of the Salary package.

2. Salary Accounts:

- (a) The Account holders should check whether their account is properly categorized as per their eligibility, as Salary Package benefits are linked to product code of Salary Package accounts in Bank's system. Discrepancy observed, if any, should be brought to the notice of concerned Branch immediately.
- (b) In case of any employee of the Chhattisgarh State Govt. who has availed personal loan from State Bank of India changes his/her salary account to other financial institution, then the State Government of Chhattisgarh will revert back the salary account to SBI on the advice of SBI.
- (c) All new accounts being opened by the SBI in the training academies/offices/ centers of State Government of Chhattisgarh will be opened as State Government Salary Package (SGSP) account on receipt of temporary numbers


विशेष सचिव
उत्पीडासुख शासन
वित्त विभाग
बिलासपुर, नया रायपुर (छ.ग.)





SBI

(for training) by training academies/ centers and on receipt of **employee/service** numbers, the permanent employees will advise the Branch, where account is maintained for requisite amendments in the number by SBI Branch.

3. **Facilities to Account holders:**

The Bank undertakes to provide the following facilities/ services to State Government of Chhattisgarh permanent employees drawing their salary through any of its branches:

- Existing salary accounts of officers / employees of State Government of Chhattisgarh will be converted to State Government Salary Package (SGSP) subject to an application-cum-undertaking to be submitted by the respective account holder as per specimen attached in **Annexure-I**. The facilities will be provided under State Government Salary Package to State Government of Chhattisgarh permanent employees as per attached **Annexure-II** depending upon the variant of account.
- Usage of the largest ATM network of SBI Group free of charge subject to limitation in withdrawal amount as prescribed by the Bank from time to time.
- Usage of other banks ATMs free of charges subject to limitation in withdrawal amount as prescribed by the Bank from time to time.
- Anywhere Banking via ATM, Internet, Mobile Banking, YONO.
- Free Shopping-cum-ATM/ Debit Card
- Free Supplementary Shopping-cum-ATM Card / Debit Card for Joint Account holders.
- Free additional Shopping-cum-ATM Cards / Debit Cards for joint account holders on their joint accounts subject to their undertaking that the 'additional card will be issued at their own risk and responsibility'. The Bank will not be held responsible for any cost or consequence that may arise out of misuse of the additional Card.
- Free Facility for setting up of Standing Instructions within SBI.
- Free Financial Advisory Service wherever SBI has such facility.
- Other facilities as detailed in **Annexure- III, IV, V & VI**.
- Loans will be disbursed to the eligible permanent employees upon fulfilment of Bank's eligibility criteria by the State Government of Chhattisgarh permanent employees and on meeting of Bank's terms and conditions, including establishing of the applicant's creditworthiness as per the Bank's guidelines.
- All other facilities being provided to Bank's normal customers operating salary accounts, subject to the discretion of the Bank and prevailing regulatory guidelines from time to time.

Key HIGHLIGHTS of STATE GOVERNMENT SALARY PACKAGE ACCOUNTS For Serving Permanent employees of STATE GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

Personal Accident Insurance Cover
₹ 100 Lakh in case of Accidental Death
(Without POS Condition)

Air Accidental Insurance Cover : ₹ 160 lakh
Permanent Total Disability : ₹ 100 lakh
Permanent Partial Disability : Maximum up to ₹ 80 Lakh
Disability Sum Insured payable as per prevailing regulatory guidelines

Girl Child Marriage Benefit: Applicable on admissibility of Personal Accidental Insurance (Death) Cover

[Signature]

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

2

[Signature]



20% of entitled Personal Accidental (Death) Insurance cover up to ₹ 5 lakh for one Girl Child, max up to 10 lacs for 2 girl child (18-25 years of age at the time of Accident)

Add-on Covers: Applicable on admissibility of Personal Accidental Insurance (Death) Cover

1. Plastic Surgery in Burn Cases: Maximum up to ₹ 10 lakh
 2. Import of medicine: Maximum up to ₹ 5 lakh
 3. Ambulance Charges: Maximum up to ₹ 0.50 lakh
 4. Air Ambulance Charges: Maximum up to ₹ 10 lakh
 5. Death in coma (more than 48 hours) after accident: Maximum up to ₹ 5 lakh
 6. Transportation of mortal remains: Maximum up to ₹ 0.50 lakh
 7. Family Transportation (cost of travel incurred by immediate 2 family members to reach place of accident): Maximum up to ₹ 0.50 lakh
 8. SBI Personal Loan (Xpress Credit) Insurance Cover of up to ₹ 10 lakh (in case of death on duty in action against terrorist / Naxalite / antinational / foreign enemy activities (this cover is applicable for Police / Paramilitary / Police forces covered under SGSP/CASGSP/SGSP/ISGSP only)
 9. Additional PAI Cover of ₹ 10 lakh (in case of death on duty in action against terrorist / Naxalite / antinational / foreign enemy activities (this cover is applicable for Police / Paramilitary / Police forces covered under SGSP/CASGSP/SGSP/ISGSP only)
 10. Additional Cover of ₹ 10 lakh while performing official duties on foreign soil.
- (Add-on covers at serial Number 9 & 10 above are exclusive to each other and will not be available together.

Child Education Benefit: Applicable on admissibility of Personal Accidental Insurance (Death) Cover

Additional up to ₹ 8 lakhs for male Child/or 10 lakh for girl child (18-25 years of age) at the time of Accident (25% of PAI)

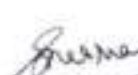
Relationship Banking through Wealth / Relationship Manager

"SBI RISHTHEY": Family Savings account for up to 4 family members (any 4 amongst, Spouse, Children, Parents & Siblings) of Gold and above variant salary account holders

Benefits under "SBI Rishtey"

1. Type of Account: Regular Savings Bank Account
2. Minimum Balance/ Monthly Average Balance: Nil
3. Debit Card: Classic Debit Card (Free, Issuance and AMC)
4. Transaction at ATMs: Unlimited free at all bank ATM network, using debit card linked to "Rishtey" accounts.
5. Multi City Cheque: Nil Charge (Except for Bulk Requirement i.e. in excess of 25 leaves in a month)
6. NEFT/RTGS Charges: Free (Online). Applicable charges in offline mode
7. Demand Draft Charges: Free, if issued by debit to "Rishtey" account
8. Auto Sweep Facility: Available (lucrative option to earn higher interest on Saving A/c)
9. SMS Alert Charges: Free
10. Annual Locker Rentals: 10% Concession on applicable locker rentals, **every year**
11. Personal Accidental Insurance: ₹ 5 lakh each for all "Rishtey" A/c holders (except minors)

**Platinum RuPay Debit Card (as an option) to all variant SGSP customers
Variant wise (Master / Visa) Debit Cards for all account holders**


विशेष सचिव
कर्मचारी शासन
वित्त विभाग
महाराष्ट्र, नया रायपुर (छ.न.)

3





SBI

Concession on annual Locker Rent: 50% Concession, every year on applicable locker rentals for Diamond, Platinum and Rhodium variant account holders

Detailed benefits are mentioned in Annexure – II & III

4. State Government Salary Package (SGSP):

The facilities will be provided under State Government Salary Package to State Government of Chhattisgarh permanent employees as per attached **Annexure-II** depending upon the variant of account. Benefits of State Government Salary Package will not be available in cases where salary being credited, however the accounts are not categorized as SGSP (Silver/Gold / Diamond / Platinum/ Rhodium).

5. Loan facilities:

State Government of Chhattisgarh does not undertake any liability for loans given by SBI to State Government's permanent employees in their individual capacities. State Government of Chhattisgarh will not be impleaded in any claim, action, lawsuit which an account holder may file against SBI or vice versa, i.e. SBI may file against the account holder. Loans will be disbursed to the eligible permanent employees upon fulfillment of eligibility criteria by the State Government of Chhattisgarh's permanent employees and on meeting Bank's terms and conditions, including establishing of the applicant's creditworthiness as per the Bank's guidelines. However, in case of need, bank may seek assistance from State Government.

6. Dissemination:

The MoU, once entered by both Parties, will be widely disseminated to all permanent employees of all ranks/staff by means of service letters/office memorandum/other modes, Data Network, Internet and any other means by State Government of Chhattisgarh and SBI.

7. Termination:

This Memorandum of Understanding may be terminated by either party by giving three months' notice of termination in writing to the other party. In the event of termination or expiry of the term of the Memorandum of Understanding, the disbursement of salaries to the individual account holders may be done through the same account, but without the special benefits as offered through this Memorandum of Understanding.

In the event of termination, health insurance (Super Top-Up Health Insurance) coverage availed by the employee, where the employee contributes the premium to the Insurance company, shall be maintained until the expiration of the policy term as per norms or guidelines prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

Notwithstanding the termination of this MoU, it shall not affect any valid claims arising out of Personal Accidental Insurance Cover, Air Accidental Insurance Cover, Permanent Total Disability, Permanent Partial Disability, Group Term Life Insurance cover provided under this MOU prior to the termination of the MoU. Such claims shall be dealt with in accordance with the norms/ guidelines as per the provision of the insurance policies of the Insurance Company with whom the bank has a Tie up and Insurance Regulatory and Development Authority of India.

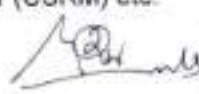
8. Awareness and engagement:

Bank is committed to create awareness amongst the State Government of Chhattisgarh Permanent employees at various establishments/ locations about Banks' products, investment opportunities through engagement programmes. Such programmes will be anchored by SBI branches, Relationship Manager (CSRM) etc.



विशेष सचिव
संसाधन विकास
विभाग
भारत, नया दिल्‍ली (भ.प्र.)

4





SBI

9. Complaint Redressal and Review Mechanism:

A Complaint Redressal Mechanism has been structured for permanent employees of State Government of Chhattisgarh and the Bank has appointed Corporate Salary Relationship Manager (CSRM) to co-ordinate. The CSRM will act as a conduit between the State Government of Chhattisgarh Establishments and the Bank and ensure that complaints are passed on/ directed to the concerned Circle and shall monitor the same until resolution. In the occasion of a dispute or a difference of opinion between the parties, the same team can address and resolve the issue. List of concerned person (CSRM) is marked in Annexure-VII. (Subject to change based on internal posting and transfer. Any changes shall be intimated to the concerned parties in due course).

Apart from the above, bank also has a very well laid down policy on Customer Grievance Redressal. This policy covers all types of customers including pensioner. It also covers the timeframe for redressal as well as the various channels available for lodging the complaints. The policy details are available at Bank's website for public information. The SGSP account holders have the additional option to use such channels for redressal of their individual grievances/ complaints.

In the event of a dispute remaining unresolved, it may be referred to the Banking Ombudsman appointed by RBI under the Banking Ombudsman Scheme, if the same can be entertained by the Banking Ombudsman as per the scheme.

10. Publicity:

State Bank of India may publish/ market about its services extended to State Government of Chhattisgarh permanent employees under this MOU and / or promote its business objectives from time to time.

11. Personal Accident Insurance (Death) (PAI)/ Total Permanent Disability/ Permanent Partial Disablement Cover / Air Accident Insurance (Death) (AAI):

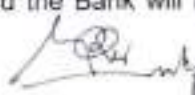
All Personal Accident Insurance (Death / Disability) claims of the State Government Salary Package account holders should be submitted by the claimant in the proper forms along with the relevant documents as prescribed by the Insurance Company with whom SBI has a tie-up; the tie-up being subject to annual review and renewal. The details of the appointed insurance company which has been placed by SBI on Bank's website <https://bank.sbi/web/salary-account/accident-insurance> and can be accessed by the permanent employees of State Government of Chhattisgarh for getting details of terms and condition of personal accidental insurance benefits and related claim process / grievance mechanism thereon. It is the duty of the claimants to submit the claim documents in timely manner. The Insurance Company, after receipt of claim papers from the claimant, will initiate the process of claim settlement. All the correspondence related to claim will be directly taken up between the Insurance Company and the claimant. All the settlement/ disputes will be between the claimant and the insurance company, and the Bank will not be a party to such disputes arising out of claim settlement process and the decision of the insurance company on any of the claims. Claims will be settled by the Insurance Company independently as per Terms and Conditions of the Insurance Policy. A Broker hired by SBI will monitor and assist in early settlement of all legitimate claims the detail of which are also placed on bank's website.

12. Group Term Life Insurance Cover:

- a) All Group Term Life Insurance (Death / Disability) claims of the State Government Salary Package account holders should be submitted by the claimant, on proper format, along with the relevant documents as prescribed by the Insurance Company with whom SBI has a tie-up. The tie-up and continuation of covers being subject to annual review and renewal of the policy.
- b) On receipt of the complete set of claim documents the insurance company will settle the life insurance claims independently. All the settlement / disputes will be between the claimant and the insurance company, and the Bank will not be a party to any

 विशेष सचिव
हस्तोत्तरित शाखा
वित्त विभाग
महाराष्ट्र, नया रायपुर (छ.ग.)

5





SBI

disputes arising out of claim settlement process or the decision of insurance company on any of the claims. The details of the appointed insurance company with which the policy has been placed is placed as **Annexure-V**. Bank has also appointed insurance brokers for assistance of the claimants and servicing of claims, the details of which is also placed as **Annexure-V**.

- c) Parties understand and agree that the personal data of the salary package account holders including SBI Rishtey account holders will be shared by SBI with the third-party companies/entities /insurance company (ies) offering the special features or complimentary benefits related to the said State Government Salary Package accounts and also that such sharing will be in accordance with the applicable laws on sharing of personal data (including the Digital Personal Data Protection Act, 2023, as and when the same is made effective).
- d) A list of all such employees who are eligible for Group Life Insurance Cover under State Government Salary Package will be shared by State Government of Chhattisgarh with designated office (SBI AO Raipur) of SBI for onward sharing with insurance provider appointed by SBI. A refreshed list of all eligible employees will be shared by State Government of Chhattisgarh by 5th of every month for addition of all new employees eligible for such coverage and removal of employees becoming ineligible for coverage on account of death/retirement / loss of employer-employee connection due to any reason with State Government of Chhattisgarh. The life insurance cover will be applicable w.e.f. date of addition of accounts with the appointed insurance company in accordance with the terms and conditions of the insurance company and not from the date of providing data by the State Government of Chhattisgarh.

13. Super Top-Up Health Insurance Cover:

All permanent employees of State Government of Chhattisgarh will be eligible to avail benefits of Super Top-Up health insurance at specially discounted premium as per the terms and conditions placed as **Annexure-VI**. Since, Premium is paid by a/c holder, hence Termination of MoU will not affect claims and dealt as per tie-up of insurance company and as per terms and conditions and validity period of the Insurance Policy.

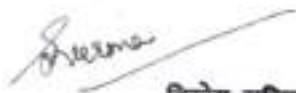
14. Amendment:

Except as otherwise provided in clause 1, any provisions of this MOU may be amended or waived only by an instrument in writing signed by both Parties.

15. Notices:

Each notice, demand, or any other communication to be given or made hereunder shall, except as otherwise provided herein, be given or made in writing and may be sent by one party to the other party by Registered Post, hand or official e-mail to the address or such other address and email ID as one party may inform the other in writing. (Such addresses / email addresses may be mentioned hereunder)

State Government of Chhattisgarh	SBI
Special Secretary, Finance, Government of Chhattisgarh Email: sec.fin-cg@gov.in	Shri Rakesh Kumar Sinha (DGM, B&O) Administrative Office, Raipur, CG Email: dgmaoraipur@sbi.co.in


विशेष सचिव
आर्थिक विभाग
राजधानी, रायपुर (छ.ग.)



16. Employee Discretion in Bank Selection

State Government of Chhattisgarh shall not make any commitment or impose any requirement upon its employees to maintain their salary accounts with any specific bank. The decision of where to establish and maintain a salary account shall remain solely at the discretion of each individual employee, who may choose any bank according to their preferences. The Government's involvement in this Memorandum of Understanding is limited to facilitating the availability of banking and associated facilities as outlined herein. Employees shall retain the freedom to either migrate to any bank of their choice or continue with their current salary account, without any interference from the State Government of Chhattisgarh subject to Clause 2(b) of the MOU.

17. Non-Exclusivity

This Memorandum of Understanding shall be expressly deemed a non-exclusive Memorandum of Understanding. Nothing in this Memorandum of Understanding shall restrict the State Government of Chhattisgarh, or any of its Departments, Agencies, or Organizations, from entering into similar Memorandum of Understandings with other banks for the provision of salary account services to its employees. This provision ensures that the Government retains the flexibility to offer its employees a choice of banking services, allowing them to benefit from competitive terms and offerings available in the market. The non-exclusive nature of this Memorandum of Understanding is intended to promote transparency, competition, and choice for the employees of the State Government of Chhattisgarh.

18. Confidentiality & Data Protection

The Parties agree that all employee data shared under this MoU (including personal, financial and employment -related information) shall be treated as confidential and used exclusively for the purpose for SGSP only.

The Bank shall implement industry-standard security measures to safeguard the data against unauthorized access, disclosure, or misuse, and shall use it only for the purpose the data is intended for.

19. Miscellaneous:

a) As most of the benefits of the State Government Salary Package Account variant are linked to the variant of salary account based on net salary credited to the salary account of permanent employees of State Government of Chhattisgarh, Corporate Office/Head quarter of State Government of Chhattisgarh will communicate to all the State Government of Chhattisgarh permanent employees that as and when there is a change in the net salary, the individual will intimate the new net salary (with salary certificate) to the SBI branch where his/ her Salary Package account is maintained. In case the same is not updated with the branch then the bank is not responsible.

b) In the event of non - credit of salary for more than three months in the SGSP account or default in loan accounts of any permanent employees, Bank has the discretion to convert such account to normal Saving Bank account and all benefit extended to the Salary Package account holders shall stand withdrawn, without any communication. After resumption of salary credits in the account and/or repayment of defaulted amount of loan, permanent employees may apply in Bank again for converting the concerned account into SGSP. Bank will intimate the customer in event of his Salary account being converted to normal savings account.

c) Benefits of Salary Package Accounts are available only to SGSP categorized accounts. The Permanent employees of State Government of Chhattisgarh to verify / ensure from their Pass Book / Statement of account / Internet Banking that their account is categorized under applicable SGSP (Silver/ Gold / Diamond / Platinum / Rhodium) as per their net salary.

d) Benefits to family account holders will be available only to the accounts which will be categorized as "SBI Rishtey" accounts in banks system. This needs to be verified by the

Surendra विशेष सचिव
उत्पीयन शासन
जिस्त विभाग
भारतपुर, नया दणपुर (उ.प्र.)

[Signature]



SBI

Family members through Passbook / Internet Banking. However, benefits attached to family account are also subject to fulfillment of all condition related to maintenance of State Government Salary Package account.

e) If account is not categorized properly as mentioned in (c) & (d) above, Serving Permanent employees / Family members have to submit his / their application with required documents at their Branch of the Bank for categorizing the account properly.

f) The Bank will consider installation of ATMs and setting up of branches at locations that are mutually convenient. The State Government of Chhattisgarh on its part will make efforts to provide space for setting up ATMs and Branches which is suitable for the Bank's requirements. The space, if available, will be provided on mutually agreed terms by both the parties.

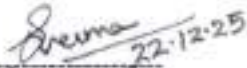
g) As regards "Know Your Customer norms" as per RBI guidelines, PAN /Form-16 (mandatory) and one Officially Valid Documents (OVDs) to be provided for opening of Bank accounts. These instructions will be governed by directions issued by RBI/ Bank from time to time. Along with PAN & OVD a certificate/ letter issued/ countersigned by the authorized signatory from the individual's office, certifying his identity and present address along with certified copy of salary slip/certificate will be acceptable to the Bank.

h) The salary package is being offered to the employees of **State Government of Chhattisgarh** by the Bank as a comprehensive solution for the purpose of providing various banking services and associated features are not intended for mobilization of deposits from them.

i) This MOU will be governed by the Laws of India and will be subject to the jurisdiction of the competent courts in Raipur.

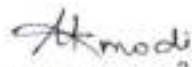
In witness whereof, each Party has scribed their respective hands through its duly authorized representative.

Signed on behalf of
State Government of Chhattisgarh


Name: **SHRI RAJAT SHASHWAT VERMA, IRS**
Designation: **SPECIAL SECRETARY**
State Government of Chhattisgarh

विशेष सचिव
वित्त विभाग
राज्य सरकार

Witness **मंत्रालय, रायपुर (उ.प्र.)**


.....27/12/2015
(NAME) **ANKIT KUMAR MODI**
(DESIGNATION) **ADDITIONAL DIRECTOR**
DIRECTORATE OF INSTITUTIONAL
FINANCE, Govt of CHHATTISGARH

Signed on behalf of
State Bank of India


Name: **Shri Rakesh Kumar Sinha**
Designation: **DGM(B&O)**
State Bank of India, AO, Raipur




.....
(NAME) **Ankur Sharma**
(DESIGNATION) **Chief Manager**
CBE Sector Manager
Home Raipur

Application-cum-undertaking to be taken from all account holders new / existing / applying for conversion

The Branch Manager
State Bank of India
.....Branch

Dear Sir,

STATE GOVERNMENT SALARY PACKAGE

**(1) REQUEST FOR CONVERSION OF SAVING BANK ACCOUNT TO SGSP ACCOUNT AND
(2) UNDERTAKING FROM SALARY PACK ACCOUNT HOLDERS FOR CONVERSION, SHARING OF
PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES, NEW AND CONVERTED**

1. I maintain a SB account with your branch and the account number is _____ /
I intend to open a new salary package Account. I am presently employed in
_____ as _____ at _____ my employee ID
is _____ and my Date of Birth is _____. My mobile number
is _____. My present address is appended below which may please be incorporated
in your records for which I am enclosing a certificate issued from the office/ salary slip and request
you to accept it for satisfying the norms as prescribed by your bank, along with other KYC
document(s) as prescribed by the RBI.
(strike out if not applicable in case of existing customers)

2. In this connection, I request that my existing SB account number _____ be
converted into eligible salary package account with all its special features.
(strike out if not applicable in case of new customers)

3. I understand that auto sweep facility can be provided in this account and the special request is
being submitted for the same separately.

4. I hereby undertake that I shall obtain a 'No Dues Certificate' from SBI in case I desire to shift
my account to any other Bank for credit of Salary. I further undertake that I shall not seek to
change my Salary Bankers from SBI unless I have liquidated all personal loans outstanding with
SBI.

5. I hereby give my consent to SBI to share my personal data with the companies/ entities offering
the complimentary benefits/ special features related to the salary package account for the
purposes of availing such benefits/ features.

Address: _____

Yours faithfully,

Date :
Place :
Address

Name :
Mob. No. :

Signature

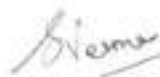
विशेष सचिव
उत्पत्तिगत राशन
विता विभाग
महानगर, नया रायपुर (छ.स.)



Annexure- II

**FEATURES OF STATE GOVERNMENT SALARY PACKAGE (SGSP)- FOR SERVING
PERMANENT EMPLOYEES OF OFFICE OF STATE GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**

Features	Silver	Gold	Diamond	Platinum	Rhodium
Eligibility (net salary)	10K to 25K	>25K to 50k	>50K to 100K	>100K to 200K	>200 K
Min. Balance	NIL (No minimum balance required to be maintained)				
Passbook	Free				
Internet Banking	Free				
Auto Sweep Facility (On request)	- Threshold Amount: Rs.35,000/- - TDRs/ STDRs to be created for a minimum amount of Rs.10,000/- (and in multiples of Rs.1,000/-) in any one instance.				
ATM cum Debit Card	Free, Domestic Classic Debit Card	Free, International Gold Debit Card		Free, International Platinum Debit Card	
New Age RuPay Card*	Complimentary International RuPay Platinum Debit Card			Complimentary International RuPay select Debit Card	
Transactions At ATM	State Bank & Other Bank ATMs: Unlimited Free				
Multi City Cheques	Cheque Leaf charges: NIL (except for bulk requirement i.e., in excess of 25 cheque leaves at a single instance in a month)				
Concession in annual locker rent	Nil		50%		
Setting up of Standing Instructions within SBI	Free				
RTGS/NEFT Charges	Waived (in online mode)				
SMS Alerts	Free				
Drafts issue Charges	Unlimited Free, if issued through Salary Account				
Debit Cards	1. Existing option to continue 2. Additionally, feature packed new RuPay Cards to be mapped which are made available by NPCI (Details of features associated with RuPay Card is placed as Annexure-IV)				
Personal Accidental Insurance (PAI) Death Cover*	Rs. 100 lakhs (All Variants)				
Air Accidental Insurance (AAI)	Rs. 160 lakhs (All Variants)				
Permanent Total Disability (PTD) Cover	Rs. 100 lakhs (all variants)				
Permanent Partial Disability (PPD) Cover	Rs. 80 lakhs (all variants)				
Add-On insurance Covers (PAI)	Available as per the insurance policy provisions				
Group Term Life Insurance Cover	Rs. 10 Lakh (All Variants)				
Super Top-up Health Insurance	Rs. 15 lac/ Rs. 30 lac with Rs. 2 lac/Rs. 3 lac deductible, as per extant T&C of the MoU with Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd (Cost to be borne by the Customer, to be purchased voluntarily) (Details placed at Annexure-VII)				



विशेष सचिव
उत्तरीय शासन
वित्त विभाग
भारत, नया रायपुर (छ.ग.)





Other Facilities	As applicable/ available to Regular Savings Bank account
Family Savings Account – SBI Rishtey	Available for Gold and above variants Salary Package Customers.
Concession in Processing Charges and Relaxation in margin on loan to SGSP account holders (Serving permanent employees)	
Home Loan	Processing fees - 100% (Charges for Title Investigation Report (TIR), Valuation etc. to be recovered from customers)
Car Loan	Processing fees - 50% or Minimum Rs 500 (Whichever is Higher) Margin Money – 5% concession subject to maximum 100% Loan to Value (LTV) of ex showroom price of vehicle
SBI Personal Loan	Processing fees - 50%
The account level accidental insurance covers are available till 03.04.2026 and continuation thereafter will be subject to review / renewal of the insurance policy.	
The term Life insurance cover is available till 21.02.2026 and continuation thereafter will be subject to review / renewal of the insurance policy.	

[Signature]
विशेष सचिव
 छात्रविकास, काशी
 किरात विभाग
 मंगलपुर, नया धनपुर (छ.प्र.)



Annexure- III

Features of New age SBI RuPay Card

Account Variant →	Silver	Gold	Diamond	Platinum & Rhodium
Card Variant →	Platinum	Platinum	Platinum	Select
Health Checkup	NA	NA	NA	Once in a year (facility provided to maximum 2% of the cards issued by SBI)
MakeMyTrip	NA	Flat 10% Instant Discount (up to INR 1500); No Min purchase; Once in a year	Flat 10% Instant Discount (up to INR 1500); No Min purchase; Once in a Quarter	Flat 10% Instant Discount (up to INR 1500); No Min purchase; Once in a Quarter
Amazon Prime	NA	Full Year Subscription	Full Year Subscription	Full Year Subscription
Gym membership	NA	NA	NA	One month offline or 3-month online subscription
SPA	NA	NA	NA	Once in a year
Lounge - domestic	1 free visit a quarter	1 free visit a quarter	2 free visits a quarter	3 free domestic visits a quarter
Lounge International	NA	NA	NA	3 free international visits a year
Golf	NA	NA	NA	Once in a year
Cab aggregator	NA	NA	NA	Once in a year
Swiggy One	NA	3-month membership once in a year	3-month membership once in a year	3-month membership once in a year
Book My Show	NA	INR 250 off on purchase of min 2 tickets; once in a quarter	INR 250 off on purchase of min 2 tickets; once in a quarter	INR 250 off on purchase of min 2 tickets; once in a quarter
Personal Accident & Permanent Disability Insurance	₹ 10 lakh (With PoS condition 45 days)	₹ 10 lakh (With PoS condition 45 days)	₹ 10 lakh (With PoS condition 45 days)	₹ 10 lakh (With PoS condition 45 days)
Air Accident Insurance	NA	₹ 50 lakh (With PoS condition 45 days)	₹ 50 lakh (With PoS condition 45 days)	₹ 100 lakh (With PoS condition 45 days)

Shera

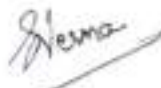
विशेष सचिव
हस्तक्षेप शाखा
वित्त विभाग
संजयपुर, नया रायपुर (उ.प्र.)

12



SBI

Purchase Protection	NA	₹ 2 lakh	₹ 2 lakh	₹ 2 lakh
Swiggy Offer	NA	₹ 100 every Friday - once in month	₹ 100 every Friday - once in month	₹ 100 every Friday - once in month
Amazon Offer	₹ 100 every Friday - once in month	₹ 100 every Friday - once in month	₹ 100 every Friday - once in month	NA
Concierge	24*7 concierge service 100%	24*7 concierge service 100%	24*7 concierge service 100%	24*7 concierge service
Emergency concierge	Cash NA	NA	NA	Emergency cash - international


 विशेष सचिव
 कलासंग्रह शास्त्र
 वित्त विभाग
 नगरपालिका, नया रायपुर (ब.न.)



Group Personal Accident Insurance Policy (04.04.2025-03.04.2026)
Insurance Company: The Oriental Insurance Company Limited (OICL)

Contact Details and Escalation Matrix
The Oriental Insurance Company Limited (OICL)

All communications / correspondence regarding claims should be sent to:

The Oriental Insurance Company Limited
SBI GPA Claims Cell
Mumbai Regional Office 1, 2nd Floor, Oriental House, 7 J. Tata Road, Churchgate, Mumbai-400020

Status of the claims can be sought, using system generated claim number/ Account, by any of the following channels:

Sr. No.	Channel	Details
1	Email ID	sbigpa.claims@orientalinsurance.co.in
2	Land Line Number	022-22820494 / 22049076 / 22825619
3	Fax No.	022-22820590
4	Toll Free No	18001238733 / 1800-11-8485

Escalation Matrix (The Oriental Insurance Co. Ltd.) - Contact Details

Escalation Level	Name/Designation	Contact No.	Email Id
1 st Escalation	Ms. Deepa Balasubramaniam – Dy. Manager	8655960610 / 8655960611	deepa.b@orientalinsurance.co.in
2 nd Escalation	Ms. Manasi Kadam- Dy. Manager	8655960610 / 8655960611	manasi.kadam@orientalinsurance.co.in
3 rd Escalation	Mr. Ninad Pote - Regional Manager	8655960610 / 8655960611	Pote.ninad@orientalinsur ance.co.in

Nema
विशेष सचिव
इन्सुरेन्स शाखा
वित्त विभाग
बंगला, नया सपपुर (छ.प.)



Insurance Broker Firm

M/S Anand Rathi Insurance Brokers Ltd.
Policy period: 04.04.2025 TO 03.04.2026
and for Policy Year 2020-21 and earlier: All packages

Correspondence Address:

M/s Anand Rathi Insurance Brokers Lt. (ARIBL),
09th Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra
Toll Free No: 1800-123-8733 WhatsApp Chat Bot: 8657923021
Email ID: palhelpdesk@rathi.com

Land Line No. 022-4909 3000/3003/3006

Contact details of dealing officials:

Name	Designation	Mobile No.	Email id
Ghanshyam Suthar	Deputy Manager	7627085814	ganshyamsuthar@rathi.com
Yash Parmar	Management Trainee	8097841334	yashparmar@rathi.com
Aniruddha Sargade	Senior officer	8657893622	aniruddhasargade@rathi.com
Bhupendra Thanekar	Asstt. Vice President	9833784147	bhupendrathaneekar@rathi.com
Binita Shah	Director	—	binitashah@rathi.com

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (PAI) DEATH / PERMANENT TOTAL DISABLEMENT / PERMANENT PARITAL DISABLEMENT / AIR ACCIDENT INSURANCE (AAI) DEATH

1. Personal Accident Insurance (Death / Disability) Cover (PAI) will be available only in case of death / Disablement resulting solely and directly from accident caused by external, violent, and visible means. Accidental death is defined as per IRDAI norms/ guidelines. Death / Disablement due to direct war / circumstances traceable to declared war will not be covered.
2. The Personal Accident Insurance Cover will be available to State Government of Chhattisgarh Salary Package customers.
3. Only Primary Salary Package Account holders will be eligible for coverage under policy (i.e. account holder for whom salary is being credited). There should be minimum one Salary Credit within 90 days prior to the date of accident for claims being eligible.
4. In case of death / disability by accident of a newly recruited State Government of Chhattisgarh permanent employees, he /she will be eligible for Insurance benefits immediately after opening of SGSP Account. However, if salary / Stipend is not being credited in this SGSP Account after one month from opening of the account, then such customer will not be eligible for Insurance Claims.
5. The benefit of Personal Accident Insurance (Death) Cover (PAI) and Air Accident Insurance (Death) Cover (AAI) will be available to the claimant only if the account is under the Salary Package with appropriate product code of SGSP as per terms and conditions of Insurance.
6. In case of multiple accounts related to a single CIF, only one account where salary is credited will be taken into consideration.

S. Varma
विशेष सचिव
उत्तरीय शासन
निरा विभाग
भोपाल, मध्य प्रदेश (उ.प्र.)

15



7. Joint account holders of Salary Package Accounts opened under SGSP are not included under Free Personal Accident Insurance (Death) Cover (PAI) / Air Accident Insurance (Death) (AAI) Cover.

8. The Personal Accident cover will be available for the beneficiaries even in case of death in a Terrorist/ Naxalite action.

9. Payment of Insurance will not be eligible in respect of death / disability:

- a. from intentional self-injury, suicide, or attempted suicide
- b. whilst under the influence of intoxicating liquor or drugs
- c. directly or indirectly caused by venereal disease or insanity
- d. arising or resulting from the insured committing any breach of the law with criminal intent.

10. Insurance in respect of death due to bodily injury or any disease or illness of the insured persons is not payable, if:

a) Directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiation or contamination by radioactive substance from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.

b) Directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapon materials.

11. The insurance under this policy shall not extend to cover death disablement resulting directly or indirectly from pregnancy or in consequence thereof.

12. In case of death due to ship accident other than declared war by Government of India shall also be covered for Personal Accident (Death) Insurance Cover.

13. The Air Accident Insurance (Death) Cover [AAI] claim will be treated as valid claim only if, Air ticket have been purchased by debit to State Government of Chhattisgarh Salary Package Account using Cheque / Debit Card / Internet Banking, or where ticket is not required to be purchased by the account holder (service/combat/chartered aircrafts of State Government of Chhattisgarh forces) or is provided by the department for official duty, with Any one Accident (AoA) clause of ₹ 25 Crore and Any one Year (AoY) clause of ₹ 50 Crore.

14. Claimants will submit claims directly to the Insurance Company. The Insurance Company will settle claims independently, as per the Policy terms and conditions. Bank will not be a party to any dispute between the claimant and insurance company.

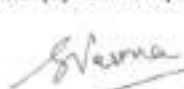
15. All the eligible claims will be payable by the insurance company and Bank/Broker shall have no liability whatsoever in respect thereof.

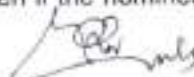
16. Claimants or their representatives have to send intimation of insurance claim to the concerned Insurance Company directly. Intimation may be sent by email/ phone/ letter within 90 (ninety) days of the death of the Salary Package Account Holder. However, for settlement of claims, the relevant supportive documents as per the arrangement have to be submitted by the claimant subsequent to submission of intimation of claim within 180 days of the date of death of salary package account holder. Insurance company will settle the claim as per IRDAI guidelines.

17. The beneficiary on death of Primary Salary Account holder shall be as follows: -

i. In case of account opened in single name, the nominee registered in Salary Package account of deceased will be beneficiary for the purpose of insurance claim. (Bank's role will be limited only to certify the names of nominee as per Bank records).

ii. In case, the account is opened as joint account, then the beneficiary will be the surviving account holder(s) for the purpose of insurance claim even if the nominee is available in


विशेष सचिव⁶
उत्तरीय शाखा
वित्त विभाग
राजस्थान, नया रायपुर (उ.प्र.)





the account. (Bank's role will be limited only to certify the names of surviving joint account holder(s) as per Bank records).

iii. In case, the account is opened as joint account, in event of death of all the account holders, the nominee, if available, will be the beneficiary for the purpose of insurance claim. (Bank's role will be limited only to certify the names of nominee as per Bank records).

iv. In cases other than i, ii and iii above the claim shall be settled as per the procedure of the insurer. The identification of legal heirs and the authenticity of the claim will be the responsibility of the Insurer.

21. Permanent Total Disablement (PTD): In event of injury occurring solely and directly from accident caused by external, violent and visible means resulting in total permanent disablement, the claim will be settled as per terms and conditions on PTD of Insurance Company.

22. Permanent Partial Disablement (PPD): Where a part of the body becomes permanently disabled (i.e partial loss) due to an accident, the claim will be settled by insurance company as per their terms and conditions.

23. Payment Of Claim: Insurance claim amount will be paid in beneficiary's account with State Bank of India only. Claim amount will first be appropriated against loan outstanding with SBI, if loan amount is not covered under another Insurance Policy (Rinn Raksha).

24. Disclosures : Details in relation to claim guidelines, escalation matrix of insurance company and insurance brokers, grievance redressal mechanism, claim format etc. have been placed by the bank at bank's website <https://bank.sbi/web/salary-account/accident-insurance> . for information and usage of permanent employees of State Government of Chhattisgarh, and also for public at large.


विशेष सचिव
हलीसगढ़ रासम
वित्त विभाग
महाराष्ट्र, नया रायपुर (छ.ग.)



Annexure-V

Name of Insurance Company: M/s SBI Life Insurance Ltd.				
Escalation Matrix for claims: GTL policy for the for the period 22/02/2025 to 21/02/2026				
Level	Name of the dealing person	Designation	e-mail id	Contact No
1	Meena Thawani	Regional Claim Support	meena.thawani@sblife.co.in	022-66283251
	Ketan Thacker	Regional Head(Claims)	ketan.thacker@sblife.co.in	8408994747 022-66283205
	Anand Iyer	Key Account Manager	anand.iyer@sblife.co.in	9773275861
2	Rakesh Kumar Sharma	Vice President &ASM	ku.rakesh@sblife.co.in	9793600881
	V Prakash	Vice President & RSM	v.prakash@sblife.co.in	9711879333
3	Roopa Anchan	Regional Manager (Operations & Compliance)	roopa.anchan@sblife.co.in	022-66283234
1. Toll Free Number for claim intimation /Query: - 18002679090				
2. Email I'd for Claim Intimation/Query: - samp.suri@sblife.co.in				

Escalation Matrix for Claims: Insurance Broker				
Name of Insurance Broker Firm: M/s Alliance Insurance Brokers Pvt. Ltd. (AIBPL) GTL Policy Period 2025-26 (22.02.2025 to 21.02.2026)				
Level	Name	Designation	e-mail id	Mobile No
1	Kanchan Mote	Senior Manager	kanchan@allianceinsurance.in	8976799824
2	Pallavi Khedekar	Chief Manager	pallavi@allianceinsurance.in	7710005301
3	Dhananjay Kulkarni	Chief Manager	dhananjay@allianceinsurance.in	7777031502
4	Nitesh Sharma	Dy. Vice President (Employee Benefits)	nitesh@allianceinsurance.in	9167980504
5	Jignesh Purohit	Senior Vice President (Employee Benefits)	jignesh@allianceinsurance.in	8433747396
Email I'd for Claim Intimation/Query: - sbgtlclaims@allianceinsurance.in				

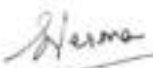
**GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF GROUP TERM LIFE INSURANCE (GTLI)
(DEATH)**

1. Policy Number: 72100481905
2. Name of Insurer: SBI Life Insurance Company Limited
3. Current Policy Period: 22.02.2025 to 21.02.2026 (continuation beyond 21.02.2026 is subject to policy renewal.
4. Age Group: Entry age is 18 years (subject to condition of maintaining State Government Salary Package account with SBI. Maturity Age is 65 years (last birthday) or superannuation whichever is earlier.
5. All activities of / at work are covered.
6. The account holders under State Government Salary Package will be covered under the policy on the basis of list of employees provided by the State Government of Chhattisgarh as mentioned under Para 12 of the MoU.

S. V. S.
विशेष सचिव
उत्तरीय शासन
वित्त विभाग
इंदौर, मध्य प्रदेश (भ.प्र.)



7. 24 hours death risk cover under one-year term insurance plan covering all deaths including suicided is covered from day one subject to addition of the eligible account holder in policy list maintained with the insurance company. The data for which is to be supplied to the insurance company as per the terms of Para 13 of this MoU.
8. No medical examination of individual Salary Package Account holder will be undertaken as it will be a group policy.
9. The claimant of the salary account holder needs to submit claim form along with required documents directly to the Insurance Company.
10. Nominee will not be asked at the time of addition of members or members joining the policy. Claimant / Beneficiary to be decided as under-
 - a) In case of account opened in single name, the nominee recorded in Bank will be beneficiary for the purpose of insurance claim. (Bank's role will be limited only to certify the name of nominee as per Bank records).
 - b) In case, the account is opened as joint account, then the beneficiary will be the surviving account holder(s) for the purpose of insurance claim even if a nominee is available in the account. (Bank's role will be limited only to certify the names of surviving joint account holder(s) as per Bank records).
 - c) In case, the account is opened as joint account, in event of death of all the account holders, the nominee in salary account in Bank's system, if available, will be the beneficiary for the purpose of insurance claim. (Bank's role will be limited only to certify the names of nominee as per Bank records).
 - d) In case other than A, B, and C, above the nominee shall be the beneficiary in salary account holders service records with the employer, in whose favour terminal dues are paid by the employer, basis certificate issued by the employer to that effect.
 - e) In cases other than A, B, C and D above the claim shall be settled as per the procedure of the insurer. The identification of legal heirs and the authenticity of the claim will be the responsibility of the Insurance Company.
11. Claims will be processed by the insurance company independently; Bank or Brokers will not be a party to any dispute arising out of claim settlement process at any stage.
12. The Insurance Company should entertain claims where intimation from branch/claimant is received by them by email/ fax/ letter within 90 (ninety) days of the death of the Salary Package Account Holder. The claim should be settled within 7 days on receipt of required documents at the centralized point of the insurer. All admissible claims where death happens within the Policy period are to be paid by the Insurance Company whether the Policy is subsequently renewed or not.


 विशेष सचिव
 इन्सुरेन्स शाखा
 वित्त विभाग
 भद्राचल, नया रायपुर (उ.प्र.)





GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SUPER TOP-UP HEALTH INSURANCE**Details of Super Top-Up health Insurance Policy****Claim Support Matrix:****Product brief**

Super Top up Health insurance Plan for (1 Adult, 2 Adult, 2 Adult + 2 Child) plan with Sum Insured option 15 lakh with 2 lakh deductible and 30 Lakh with 3 lakh aggregate deductible by Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd. on individual payment basis Premium table (including Tax) with Sum Insured and deductibles is as below.

Sum Insured/ Deductible	1A (Premium ₹)	2A (Premium ₹)	2A+1C (Premium ₹)	2A+2C (Premium ₹)
15 Lac/ 2 lac	1,623/-	1,763/-	1,843/-	1,995/-
30 Lac/ 3 Lac	2,056/-	2,229/-	2,332/-	2,495/-

Key Features

- A Super Top up health Indemnity insurance Plan that helps Individual and his/her family stay adequately insured at the time of Hospitalization event.
- Coverage available for 1Adult, 2 Adult, 2 Adult+ 1 Child and 2 adult + 2 Child.
- In- Patient Hospitalization is considered as treatment.
- Day care procedure is covered.
- Entry age 18 Years to 65 Years (Child age 3 month to 25 Years)
- 60 days Pre and 90 days Post Hospitalization also Covered.
- Medical Advancement Surgery Covered
- Road Ambulance upto Rs 2000/-
- Ayush Treatment also covered
- Renewal upto 75 year
- Auto Renewal option is available

Waiting Period:

- For Accidental Hospitalization no waiting period.
- Hospitalization for illness 30 days waiting period is applicable.
- Pre-Existing disease waiting period is 24 Month.
- Specific disease waiting period is 24 Month.

Policy Buy Journey: Policy can be purchased through online and offline both options available

Claim Process for Cashless and Reimbursement

Intimation: Information regarding Intimation of Claim: Customer or individual claiming on customer's behalf must promptly, compulsorily and in any event within 48 hours of admission to a Hospital give intimation of claim including written information or telephonic intimation to Bajaj Allianz's Call Centre on the number (1800 103 2529) provided on the health card. Intimation should include details of policy number, card number of claimant, name of claimant, name of hospital, contact number and address of hospital, complaints/ailment/diagnosis for which treatment is being sought, room type and estimated expenses.

Cashless Request:

Need to show the Health ID card of the patient to avail Cashless facility at our Network Hospital helpdesk. Hospital formalities shall be completed and Pre-authorization form shall be send at Bajaj Allianz through Email or Hospital portal.

For status you can utilize our web links or connect to our call center (Toll Free: 1800 103 2529)

Reimbursement: Customers are required to send hardcopies within 30 days post discharge on below address

Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.

Bajaj Finserv Building, A-Wing 2nd Floor, Bajaj Finserv Building, Behind Weikfield IT Park,

Off Nagar Road, Viman Nagar, Pune - 411 014, Maharashtra

Claim status can be viewed on :- <https://general.bajajallianz.com/BajajNxt/InHouseSP/hm/external/UserCC.jsp>

Claims escalation matrix	SPOC	Preauth@bajajallianz.co.in
	1st Escalation	Sandip.Harak@bajajallianz.co.in
	2nd Escalation	ashish.rasal@bajajallianz.co.in
	3rd Escalation	Tejveer.Singh@bajajallianz.co.in

General Exclusions:

1. Investigation & Evaluation a) Expenses related to any admission primarily for diagnostics and evaluation purposes only are excluded even if the same requires confinement at a hospital. b) Any diagnostic expenses which are not related or not incidental to the current diagnosis and treatment are excluded. 2. Rest Cure, rehabilitation and respite care a) Expenses related to any admission primarily for enforced bed rest and not for receiving treatment.

Any dental treatment that comprises of cosmetic surgery.

2. Medical Expenses where Inpatient care is not warranted and does not require supervision of qualified nursing staff and qualified medical practitioner round the clock

3. War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, commotion, unrest, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalization or requisition of or damage by or under the order of any government or public local authority. Any Medical Expenses incurred due to Act of Terrorism will be covered under the Certificate of Insurance

Note: Above is write up is summary of Product feature along with Basic Terms & Conditions. For More information.

Please refer policy wordings www.bajajallianz.co.in, All policy conditions will be available with Certificate of Insurance.

S. V. S.
विशेष सचिव
हनीसंगठ शासन
दिल्ली विभाग
नया रायपुर (स.ग.)



Annexure-VII

Contact Details of Corporate Salary Relationship Manager (CSRM)

Sr No.	Name of CSRM	Place	Contact No.
1	Chandrashekhar Sahu	Raipur	7587887088
2	Keshav Anand	Bhilai	8789359608
3	Parag Kumar Purwar	Jagdalpur	8700638269
4	Dwiref Kumar Singh	Kanker	<u>8839119453</u>
5	Ankush Gupta	Bilaspur	8719840982
6	Navin Kumar	Korba	8409844796
7	Rahul Das	Raigarh	9832993829

[Signature]

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
राजसम, नया रायपुर (छ.प्र.)



State Government Salary Package

For those who contribute to the progress of the nation



T&C apply

- ₹ RTGS / NEFT charges waived for all modes
- 🏠 Up to 50% concession on locker rent every year
- ✈️ Free airport lounge access

- 📺 Free full year Amazon Prime subscription for Gold above variants
- 🛡️ Up to ₹2 lakhs purchase protection cover



State Government Salary Package (SGSP)

Eligibility	Regular employees of State Government and Union Territories and regular employees of Boards in States and Union Territories, including Teachers / Professors of aided schools, colleges, universities, etc				
Features / Variants	Rhodium	Platinum	Diamond	Gold	Silver
Net Salary	>₹2,00,000	>₹1,00,000 – ₹2,00,000	>₹50,000 – ₹1,00,000	>₹25,000 – ₹50,000	₹10,000 – ₹25,000
Min. Balance Requirement	No Minimum balance to be maintained				
SBI Rishtey – Family Banking	Zero balance facility for maximum upto 4 family members				NA
	₹5 lakhs insurance cover to each adult added family member				NA
	10% locker concession to each adult family member				NA
	Free unlimited transactions at all SBI ATMs				NA
Concession in locker charges	Up to 50 %			Nil	
ATM Debit Card	Free Rupay Select Card	Free International Platinum Debit Card	Free International Gold Debit Card		Free Domestic Debit Card
	No Issuance Charges and Annual Maintenance Charges				
	Free Debit Card for joint account holder				
Personal Accidental Insurance (PAI)	₹1 crore				
Air Accidental Insurance (AAI)	Up to ₹1.6 crores				
Permanent Total Disability Cover	Up to ₹1 crore				
Permanent Partial Disability Cover	Up to ₹80 lakhs				
Term Life Insurance	₹10 lakhs				
Super Top-up Health Insurance (Cost to be borne by the customer, to be purchased voluntarily)	Super Top-up Health Insurance for Self and Dependent (Premium starting from ₹1,623)				
	₹15/₹30 lakhs with ₹2/₹3 lakhs deductible, as per extant T&C				
Auto Sweep Facility (Available only on customer's request)	• Threshold Amount: ₹35,000 • TDRs / STDRs to be created for a minimum amount of ₹10,000 (and in multiples of ₹1,000) in any one instance				
Loan benefits	Loans are offered at discounted rates and discounted processing fees				
Other Banking Benefits	• NEFT/ RTGS charges: Completely free at all mode of channels • Free 25 cheque leaves per month and free unlimited Demand Drafts (if issued through salary account) • Free SMS alert charges & setup of standing instructions within SBI				

T&C apply

पेंशन तथा उपदान निर्धारण करने के लिए फार्म

(नियम 57(1), 59, 61, (1) 63 (1) तथा (7))

भाग एक

- शासकीय कर्मचारी का नाम
- पिता का नाम (महिला कर्मचारी के मामले में पति का नाम भी)
- जन्म दिनांक (इस्वी सन् के अनुसार)
- धर्म तथा राष्ट्रीयता
- निवास का स्थाई पता ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य दर्शाते हुए
- स्थापना के नाम सहित वर्तमान तथा अंतिम नियुक्ति
- सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक
- सेवा समाप्ति दिनांक
- (एक) सैनिक सेवा की कुल अवधि जिसके लिये पेंशन/उपदान मंजूर किया गया था (दो) सैनिक सेवा के लिये प्राप्त हुई किसी भी प्रकार की पेन्शन/उपदान की राशि तथा उसका स्वरूप।
- पूर्ववर्ती सिविल सेवा के लिये प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की राशि तथा उसका स्वरूप
- उस शासन का नाम जिसके अधीन सेवा की गई हो नियोजन के क्रम में।
- व्यवधान तथा अनर्हकारी सेवा
- अर्हकारी सेवा की अवधि
- शासकीय कर्मचारी द्वारा आवेदित पेंशन या सेवा उपदान की श्रेणी और आवेदन करने का कारण (अशक्तता पेन्शन के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय)
- क्या शासकीय कर्मचारी सेवा में सन् 1933 के पूर्व आ गया था और क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेन्शन नियम 1976 के नियम 40 का उपनियम (2) उस पर लागू होता है ? (केवल भूतपूर्व छ.ग. - के आवेदित कर्मचारियों के संबंध में)
- उपदान की संगणना के लिये उपलब्धियां
- पेंशन की संगणना के लिए औसत उपलब्धियां
- प्रस्तावित पेंशन
- प्रस्तावित मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान
- प्रस्तावित सेवा उपदान, यदि कोई
- वह दिनांक जिससे पेंशन चालू होना है
- क्या नाम निर्देशन निम्न के लिए किया गया है -
(एक) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान
(दो) गैर अंशदायी परिवार पेंशन यदि लागू हो
- क्या शासकीय कर्मचारी ने शासन की सभी देय रकमों का भुगतान कर दिया है ?

24. क्या अंशदायी परिवार पेन्शन शासकीय कर्मचारी

पर लागू होती है और यदि लागू होती है तो -

(एक) अंशदायी परिवार पेन्शन की संगणना

के लिए उपलब्धियां

(दो) उपदान से वसूली की जाने वाली अंश-दान की राशि

(तीन) शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के दिनांक..... से तक

पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाने पर पत्नी रु. की वर्धित दर से।

पति को देय अंशदायी परिवार पेन्शन की दिनांक से तक

राशि रु. की सामान्य दर से।

(चार) फार्म 3 में दिए अनुसार परिवार का पूर्ण तथा अद्यतन व्यौरा :-

क्रमांक (1)	परिवार के सदस्य का नाम (2)	जन्म तारीख (3)	शासकीय कर्मचारी से संबंध (4)

25. ऊंचाई

26. पहचान चिन्ह

27. पेन्शन उपदान के भुगतान का स्थान

(कोषागार या उप कोषागार)

28. लेखा शीर्ष जिसमें पेन्शन तथा उपदान विकलनीय है

स्थान _____

दिनांक _____

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

भाग दो

(अनुभाग-एक)

● पिछले 12 महीनों की सेवा के दौरान आहरित उपलब्धियां :-

धारित पद (1)	से (2)	तक (3)	वेतन (4)	वैयक्तिक विशेष वेतन (5)

औसत उपलब्धियां :-

● यदि पिछले 12 महीनों में कुछ ऐसी अवधि शामिल हो, जिसे औसत उपलब्धियों से संगणना करने के लिए हिसाब में न लिया जाना हो, तो औसत उपलब्धियों की संगणना करने के लिए उतनी ही पिछली अवधि ली जानी चाहिए।

(अनुभाग-दो)

अनर्हकारी सेवा का व्यौरा

	दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह	दिन
1. व्यवधान					
2. कोई अन्य सेवा जो अनर्हकारी					
न मानी गई हो।					
		योग			

1.

2.

(पूर्वा
अनुस
पेंशन
उपदा
90 या
घटाईं

1. पे
रं
पे
से
2. अ
से
3. पें
क
स्
अ
4. दि
/8
5. ले
क्ष
6. से
मृ
की
की
टिप्पणी
नहीं की

(अनुभाग-तीन)

1. सेवा की अवधि जो वेतन पत्रक में सत्यापित न की गई हो।
2. क्या उपर्युक्त अवधि छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 58 के उपबंधों के अनुसार सत्यापित की गई है।

(अनुभाग-चार)

(पूर्वानुमानित या अन्तिम पेंशन/उपदान की मंजूरी के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा उपयोग किया जावेगा) नियम 61 तथा 64 के उपबंधों के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित तथा संवितरित की जाने वाली पूर्वानुमानित/अन्तिम पेंशन तथा उपदान के ब्यौरे

पेंशन _____ रुपये _____ प्रतिमाह
उपदान (भाग एक की मद 19 में उल्लिखित उपदान का यथास्थिति रूपये _____ प्रतिमाह
90 या 50 प्रतिशत)

घटाइये :-

- (क) अंशदायी परिवार पेंशन यदि लागू हो में अंशदान भाग एक रूपये _____
की मद 24 (दो देखिए)
(ख) शासकीय बकाया रकम, जो सुनिश्चित और निर्धारित की गई हो। रूपये _____
(ग) शासकीय बकाया रकम, जो अभी तक निर्धारित न की गई हो रूपये _____
के समायोजन के लिये रोकी गई उपदान की रकम।
(घ) (क) (ख) और (ग) का देय पूर्वानुमानित/अस्थायी उपदान रूपये _____
की शुद्ध रकम रूपये _____

भाग तीन

(अनुभाग-एक)

लेखा परीक्षा मूल्यांकन

1. ऐसी अर्हकारी सेवा की कुल अवधि, जो अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति/अशक्तता/क्षतिपूर्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/उपदान देने के लिए स्वीकार की गई हो, यदि कोई सेवा अवधि ग्राह्य न की जाय तो उसके कारण बताये जाये।
2. अर्धवार्षिकी/सेवानिवृत्ति/अशक्तता/क्षतिपूर्ति अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/उपदान की राशि जो स्वीकार की गई हो।
3. पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा पेंशन तथा उपदान में की गई कटौती को यदि कोई हो, हिसाब में लेने के बाद स्वीकार्य अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति/अशक्तता/क्षतिपूर्ति/अनिवार्य सेवा-निवृत्ति पेंशन/उपदान की राशि
4. दिनांक जिससे अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/अशक्तता/क्षतिपूर्ति/अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन उपदान स्वीकार्य हो।
5. लेखा-शीर्ष जिसमें अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति अशक्तता/क्षतिपूर्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन उपदान प्रभाव्य हो।
6. सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार के हकदार सदस्यों की देय होने वाली अंशदायी परिवार पेंशन की राशि।

दिनांक _____ से _____ तक
रूपये _____ प्रतिमाह की वर्धित दर पर।
तथा दिनांक _____ से _____ तक
रूपये _____ प्रतिमाह की सामान्य दर पर।

टिप्पणी : दिनांक _____ से आरंभ होने वाली तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक का अवधि का सेवा अभी तक सत्यापित नहीं की गई है वह कार्य पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के पहले किया जाएगा।

लेखाधिकारी/सहायक महालेखाकार

अनुभाग-दो

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. शासकीय कर्मचारी का नाम | _____ | 1. |
| 2. पेंशन या उपदान की श्रेणी | _____ | |
| 3. स्वीकृत पेंशन की राशि | _____ | |
| 4. स्वीकृत उपदान की राशि | _____ | |
| 5. पेंशन प्रारंभ होने का दिनांक | _____ | 2. |
| 6. सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार के हकदार सदस्यों को देय होने वाली अंशदायी परिवार पेंशन राशि। | वर्धित दर _____
सामान्य दर _____ | 1.
S. |
| 7. छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 के उप-नियम 2 (ख) के अधीन उपदान से बसूली योग्य राशि।) | रुपये _____ | 1.
2.
3. |
| 8. अनिर्धारित शासकीय देय रकमों के समायोजन के लिए नगद जमा की गई राशि या रोकी गई उपदान की राशि। | रुपये _____ | 3. [C
S
4. C
G
5. If
a
G
1.
6. Fi
7. N
w
8. Ei
1)
2)
3)
4)
5) |

भाग-चार

हिदायतें :-

- औसत उपलब्धियां - भाग एक की मद 17 में उल्लिखित और उपलब्धियों की संगणना प्रत्येक माह में होने वाले दिनों की वास्तविक संख्या पर आधारित होनी चाहिए।
- क्षतिपूर्ति पेंशन या उपदान -
 - (क) यदि मामला क्षतिपूर्ति पेंशन या उपदान का हो तो होने वाली वचतों के ब्यौरे इस फार्म के भाग के एक की मद 14 के सामने विस्तार में दर्शाये जाने चाहिए।
 - (ख) यह बताये कि अन्यत्र नियोजन क्यों नहीं मिला।
- सेवा के ब्यौरे पेसी समस्त अवधियों की पृथक किया जाना चाहिए, जिनकी सेवा के रूप में संगणना न की गई हो।
- पहचान चिन्ह - यदि संभव हो, कुछ सुस्पष्ट चिन्हों का, जिनकी संख्या दो से कम न हो, उल्लेख करें।
- नाम - जग देखे नये विभिन्न अभिलेखों में यह ज्ञात हो कि शासकीय कर्मचारी के नाम के प्रथम अक्षर या नाम सही रूप में नहीं दिये गये हैं, या नहीं दिया गया है, तो इस तथ्य का उल्लेख पेंशन संबंधी कागजों को अंग्रेषित करने वाले पत्र में करें।
- सेवानिवृत्ति का दिनांक, सेवा पुस्तक तथा अंतिम प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो में दर्शायी जावे।
- बहाली - ऐसे शासकीय कर्मचारी के मामले में जो सेवा से निसंगित, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाये जाने या बर्खास्त किये जाने के बाद बहाल किया गया हो उसकी बहाली से संबंधित संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जाना चाहिए।
- परिवर्तन-परिवर्तन राजपत्रित शासकीय कर्मचारी के दिनांक सहित संक्षिप्त हस्ताक्षर के अधीन लाल स्याही से किए जाने चाहिए।

Form - 13
(Rule 69 [3] and [2])

Form of Application for the grant of Contributory family Pension on the Death of Government Servant Pensioner

1. Name of the applicant
1) Widow/widower.
2) Guardian if the deceased person is survived by child of children.
2. Name [s] and age [s] on surviving widow or widower and children of the deceased Government servant/pensioner.

S. No.	Name	Relationship with the deceased person	Date of birth by Christian Era
(1)	(2)	(3)	(4)

- 1.
- 2.
- 3.
3. Date of death of the Government Servant/pensioner
4. Office/Department in which the deceased Government servant pensioner served last.
5. If the applicant is guardian, his date of birth and, relationship with the deceased Government servant pensioner
- 14 (5-A), if the applicant is widow/widows the amount of service pension which she he may be in receipt on the date of death of the husband/wife.
6. Full address of the applicant.
7. Name of the Treasury or Sub. Treasury at which payment is desired.
8. Enclosure -
- 1) Three specimen signatures of the applicant duly attested (to be furnished in three separate sheet)
- 2) Three copies of passport size photograph of the applicant, duly attested.
- 3) Three slips each bearing left hand thumb and finger impression of the applicant duly attested
- 4) Descriptive Roll of the applicant attested indicating (a) height and (b) personal marks, if any, on the hand face etc. (To be furnished in Triplicate)
- 5) Certificate [s] of age [in original with three attested copies] showing the dates of birth of the children. The certificate should be from the municipal Authorities or from the Local Panchayat or from the Head of a recognized school.

दिनों की

1 मद्र 14

हो।

ही रूप में

में करें।

जाने या

चाहिए।

कए जाने

If the child is studying in such school
This information should be furnished
in respect of such child or children the
particulars of whose date of birth are
not available with the Audit Officer/
Head of Office.

9. Signature or left hand thumb impression of the applicant.
10. Attested by :

	Name (1)	Full address (2)	Signature (3)
i)			
ii)			
Witnesses			
i)			
ii)			

Note :- Attestation should be done by two gazetted Government servants or two or more persons of respectability in the town, village or pargana in which the applicant resides.

11. Item 5 A inserted vide amendment No. XIV.

**Pardanashin Irdies are exempted from joint photograph in such case declaration that beneficiary is pardanashin lady shall be enclosed.

**To be furnished in case the applicant is not literate enough to sign his name.

1. Na
2. Fe
- in
3. Di
4. Di
5. Re
6. Ol
7. Ag
- [i]
- [ii]
- [iii]
8. De
9. De
10. [i]
- [ii]
11. Ar
- for
12. Ge
- rei
13. Int
14. Le
15. WI
- we
- the
- 19
16. En
17. Pr
18. WI
- [i]
- [ii]
19. If r
- an

Form - 17

(See rule - 7 (6) and (7) 69 (6) and (7) and 70 (6)

**Form For Assessing and Sanctioning Family Pension and
Death-cum-Retirement Gratuity when a Government Servant
dies while in Service**

(To be sent in duplicate if the payment is desired in a different circle of audit)

PART - 1

1. Name of the deceased Government Servant _____
2. Father's name and also husband's name
in the case of a female Government Servant. _____
3. Date of birth (by Christian era.) _____
4. Date of death (by Christian era.) _____
5. Religion and nationality _____
6. Office/Department in which last employed. _____
7. Appointment held last :
[i] Substantive _____
[ii] Officiating _____
[iii] Temporary _____
8. Date of beginning of service _____
9. Date of ending of service _____
10. [i] Total period of military service for
which pension/gratuity was sanctioned _____
[ii] Amount and nature of any pension
gratuity received for the military service _____
11. Amount and nature of Any pension received
for previous civil service, if any _____
12. Government under which service has been
rendered in order of employment _____
13. Interruption and non qualifying service _____
14. Length of qualifying service _____
15. Whether the deceased Government servant
was a pre 1933 entrant and rule 40 2 of
the C.G. Civil Services (Pension) Rule.
1976, applied to him _____
16. Emoluments reckoning for gratuity _____
17. Proposed death cum retirement gratuity _____
18. Whether nomination made for -
[i] Death cum retirement gratuity _____
[ii] Non contributory family pension applicable _____
19. If non contributory family pension applied
and _____

The Government Servant
had rendered more than 20 years
qualifying service. _____

- (i) Average emolument's for pension if the Government servant would have retired of the date following the date of his death had he remained alive.
- (ii) Proposed pension _____
- (iii) Propose non contributory family pension.
- (iv) Period of tenability of non-contributory _____ family pension

20. If contributory family pension applies :

- (i) Proposed contributory family pension -

[a] at enhanced rate of Rs. _____ From _____ to _____

[b] at normal rate of Rs. _____ from _____ to _____

21. Persons to whom family pension contributory or non-contributory is payable

Name _____

Relationship with the deceased Government _____

Servant

Full Postal Address _____

22. Persons to whom death cum retirement gratuity is payable :-

S.No.	Name	Amount of the Share of the death-cum retirement gratuity	Relationship with the deceased	Full Postal address
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

23. Name of the guardian who will receive payment of family pension and death cum _____ Retirement gratuity in the case of minors _____

24. Government dues if any out standing against the Deceased Government servant _____

25. Head of account to which family pension and death cum retirement gratuity are _____ debitable _____

26. Name of the treasury of Sub-Treasury where the payment of family pension and death cum retirement gratuity is desired _____

Place _____

Date the _____

Signature of the Head of

Office Audit Officer

1. रु

(

2. ब

(

3. पे

4. पे

(

5. पे

सरल

1

6. पे

अ

7. यदि

8. अं

9. न उ

10. न म

11. न घ

नोट : य

प्र

12. परि

13. एव

14. वसू

15. पे

16. पे

17. वि

18. चे

मुख्य लेखाधिकारी (पेंशन) के पत्र क्रमांक/मु.ले. पेंशन/1/86/181/दिनांक 04.08.1986 के पैरा - में बताये अनुसार संलग्न चेक लिस्ट

1. संयुक्त अभिप्रमाणित फोटो -तीन सेट
(फोटो पर पेंशनर का नाम, कार्यालय द्वारा लिखा जावे)
2. बांये हाथ की ऊंगलियों एवं अंगूठे का निशान - तीन सेट
(अभिप्रमाणित कार्यालय प्रमुख द्वारा)
3. पेंशनर के नमूना हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित - तीन सेट
4. पेंशनर की ऊंचाई एवं पहचान के निशान का प्रमाण-पत्र (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित) - तीन सेट
(पहचान के निशान दो चिन्ह बताये)
5. पेंशन एवं मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति का उपदान से वसूली की जाने वाली राशि का विवरण :-

सरल क्र.	वसूली का प्रकार	वसूली की राशि	लेखा शीर्ष जिसमें राशि जमा की जानी है
1	2	3	4

6. पेंशन भोगी, मृत्यु तथा उपदान ग्राही के साथ उनके पिता/पति/पत्नि जो भी हो के नाम तथा नाबालिक स्वत्व अधिकारी की स्थिति में उनके कानूनी अभिभावक का नाम पिता/पति/पत्नि के नाम तथा पूरा पता ।
7. यदि प्रकरण एक माह से अधिक विलम्ब से प्रेषित किया जा रहा है तो विलम्ब होने का कारण ।
8. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ।
9. न जांच प्रमाण-पत्र
10. न मांग प्रमाण-पत्र
11. न घटना प्रमाण-पत्र ।

नोट : यदि पेंशनकरण सेवा निवृत्ति के पूर्व भेजा जाता है तो क्रमांक 8,10 व 11 के प्रमाण-पत्र सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

12. परिवार के सदस्यों का विवरण प्रपत्र ।
13. एवरेज (औसत) उपलब्धियों का गणना पत्रक ।
14. वसूली हेतु सहमति का पत्र ।
15. पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान न प्राप्त करने संबंधी घोषणा-पत्र ।
16. पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान का विभिन्न राज्यों के बीच बंटवारे का विवरण ।
17. विकलांग पेंशन के प्रकरण में चिकित्सा प्रमाण-पत्र ।
18. चेक लिस्ट की प्रति ।

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख
(सील)

Form – 7
**Form of Memo to the Audit Officer forwarding the pension papers
of a Government Servant**
(Rule 59 [2])

No. _____

Office _____

Dated, the _____

Subject : Pension papers & Application of Commutation of Shri/Smt./Ku.
_____ for authorisation of pension.

The Pension papers & Application of Commutation of pension as detailed in the list
of _____ enclosures _____ of Shri/Shrimati/Kumari
designation _____ of this office are forwarded here with for
further necessary action.

2. The receipt of the letter may be acknowledged.

Seal & Signature

for

Head of office

LIST OF ENCLOSURES

1. Form 6 Containing the orders of the pension. Sanctioning authority if necessary.
2. Medical certificate for invalidation (if the claim is for invalid pension)
3. Service Book in _____ Parts.
4. Memorandum of average emoluments reckoning for pension.
5. (a) There specimen signature, duly attested by gazetted Government servant or in the
case of pensioner not literate enough to sign him name three slips bearing the left hand
thumb and finger impressions duly attested by a gazetted Government servant, and
(b) Three copies of passport size joint photograph with wife/husband duly attested by the
Head of Office.

1. नाम

2. पद

3. जन्म

4. सेव

5. सेव

6. उपर

7. अर्ह

8. और

(1)।

(2)।

- (c) Three slips showing the particulars of height and identification marks duly attested.
6. Explanation for delay, if any beyond one month from the date retirement of the Government servant in forwarding Form 6 and 5 when necessary.
7. When the fact of service in another office, is not satisfactorily attested the service book, duly certified abstract form the Head of Office.
8. Written statement, If any, if the Government servant as required by rule 5 the C.G. Civil Services (Pension) Rules, 1976 Duly admitted by the Head of Office.

* Only three copies of passport size photograph of Government servant need be furnished.

1. If the Government servant is governed by the rule 47 of C.G. Civil Ser.

(P) Rules 1976 and is unmarried or a widower or a widow.

2. If the Government servant is governed by the 48 of the C.G. Civil Ser.

(P) Rules 1976

- ** If the Government servant is compulsorily retired, the Head Office may forward the pension papers to the Audit officer even in the absence of paper at serial No. 5.

Note – Pardanashin Ladies are exempted from joint photograph in such a case declaration that applicant in pardanashin lady shall be enclosed.

9. पेंशन

10. मृत्यु

अर्हता

का कु

अंतिम

उपरोक्त

11. परिवार

पेंशन गणना पत्रक

1. नाम _____
2. पद _____
3. जन्म तिथि _____
4. सेवा प्रारम्भ तिथि _____
5. सेवा निवृत्ति तिथि _____
6. उपलब्धि अन्तिम _____

7. अर्हतादाय्य सेवा :- दिनांक _____ से _____ दिनांक तक
 वर्ष _____ माह _____ दिनांक _____

8. औसत उपलब्धि :-
 (1) दि. _____ से दि. _____ तक = X = _____
 (2) दि. _____ से दि. _____ तक = X = _____
 = ...=रु. औसत
 10 उपलब्धि

9. पेंशन (औसत उपलब्धि का) -
 (1) _____ रु. _____ पेंशन प्र.भा.
 दि. _____ पूर्वान्ध

10. मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान :-
 अर्हतादाय्य सेवा - अन्तिम उपलब्धि
 का कुल छः माह
 4 1

अथवा
 अन्तिम उपलब्धि का गुना = _____ X _____ = _____
 उपरोक्त में से जो भी कम हो अर्थात् रु. डी.सी.ओ.जी. एकमुश्त

11. परिवार पेंशन :-
 (1) दिनांक _____ से दिनांक _____ तक
 रु. _____ प्र. भा.
 (2) दिनांक _____ से मृत्यु अथवा पुनर्वाह
 रु. _____ प्र.भा.

श्री _____ पद _____

कार्यालय/संस्था का नाम _____ की संयुक्त फोटो :-

जिला _____ (फोटो पर भी पेंशनर का नाम लिखा जाये एवं फोटो पर ही
अटेस्टेड किया जावे । कार्यालय प्रमुख द्वारा)

श्री _____ पद _____

कार्यालय/संस्था का नाम _____ की संयुक्त फोटो :-

जिला _____ (फोटो पर भी पेंशनर का नाम लिखा जाये एवं फोटो पर ही
अटेस्टेड किया जावे । कार्यालय प्रमुख द्वारा)

श्री _____ पद _____

कार्यालय/संस्था का नाम _____ की संयुक्त फोटो :-

जिला _____ (फोटो पर भी पेंशनर का नाम लिखा जाये एवं फोटो पर ही
अटेस्टेड किया जावे । कार्यालय प्रमुख द्वारा)

श्री/श्रीमती _____ पद _____
कार्यालय/संस्था _____ जिला _____

का नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार है :-

- 1.
- 2.
- 3.

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील :-

कार्यालय प्रमुख :-

श्री/श्रीमती _____ पद _____
कार्यालय/संस्था _____ जिला _____

का नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार है :-

- 1.
- 2.
- 3.

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील :-

कार्यालय प्रमुख :-

श्री/श्रीमती _____ पद _____
कार्यालय/संस्था _____ जिला _____

का नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार है :-

- 1.
- 2.
- 3.

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील :-

कार्यालय प्रमुख :-

श्री/श्रीमती _____

पद _____

संस्था/कार्यालय _____

के बाँये हाथ की ऊंगलियों एवं अंगूठे के निशान निम्नानुसार है :-

पेंशनर का हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

(हस्ताक्षर व सील) _____

(कार्यालय प्रमुख) _____

श्री/श्रीमती _____

पद _____

संस्था/कार्यालय _____

के बाँये हाथ की ऊंगलियों एवं अंगूठे के निशान निम्नानुसार है :-

पेंशनर का हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

(हस्ताक्षर व सील) _____

(कार्यालय प्रमुख) _____

श्री/श्रीमती _____

पद _____

संस्था/कार्यालय _____

के बाँये हाथ की ऊंगलियों एवं अंगूठे के निशान निम्नानुसार है :-

पेंशनर का हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

(हस्ताक्षर व सील) _____

(कार्यालय प्रमुख) _____

प्रमाण - पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मुझे, मेरे सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली प्रत्याशित पेंशन प्रत्याशित मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपादान की राशि में लेना चाहता हूँ/नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे अंतिम पेंशन मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपादान का अंतिम भुगतान, संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर द्वारा पारित होने के पश्चात् कोषालय से लेना स्वीकार है।

पेंशनर का

हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

(हस्ताक्षर व सील)

(कार्यालय प्रमुख) :

जो लागू न हो, उसे काटा जाय।

मैं घोषित करता हूँ कि मुझे स्वीकृत की जाने वाली पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान एवं पेंशन का सारांशीकरण का बंटवारा छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा और किसी राज्य में नहीं किया जाना है / निर्माकित राज्य में किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है (राशि एवं लेखा शीर्ष सहित)

पेंशनर का

हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

(हस्ताक्षर व सील)

जो लागू न हो, उसे काटा जाय।

वसूली हेतु सहमति पत्र

मेरे विरुद्ध यदि अधिक भुगतान की राशि निकलती है अथवा अन्य कोई शासकीय देय हो तो उपरोक्त समस्त शासकीय देय राशि की वसूली मेरे मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपादान की राशि से की जावेगी।

पेंशनर का

हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर व सील) :

(कार्यालय प्रमुख) :

प्रमाण - पत्र

श्री/श्रीमती

पद

कार्यालय / संस्था

का ऊँचाई एवं पहचान के निशान निम्नानुसार है :-

ऊँचाई

पहचान के निशान

पेंशनर के हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील :-

कार्यालय प्रमुख :-

प्रमाण - पत्र

श्री/श्रीमती

पद

कार्यालय / संस्था

का ऊँचाई एवं पहचान के निशान निम्नानुसार है :-

ऊँचाई

पहचान के निशान

पेंशनर के हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील :-

कार्यालय प्रमुख :-

पेंशन भोगी, मृत्यु-सह उपदान प्राप्ति के साथ उनके पिता/पति/पत्नी जो भी हो, के नाम तथा नाबालिक स्वत्व अधिकारी की स्थिति में उसके कानूनी अभिभावक के नाम पिता/पति/पत्नी के नाम तथा पूरा पता :-

पेंशनर का नाम _____ पद _____ कार्यालय/

संस्था _____ जिला _____ (उ.ग.)

पेंशनर के पिता/पति/पत्नि (जो भी स्थिति हो) का नाम व पूरा पता -

पेंशनर का हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील (कार्यालय प्रमुख)

मैं घोषित करता हूँ कि मेरा वर्तमान एवं स्थायी पता निम्नानुसार है :-

पेंशनर का हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील (कार्यालय प्रमुख) :

मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपना पेंशनर निम्नांकित कोषालय से प्राप्त करूँगा :-

पेंशनर का हस्ताक्षर

(अभिप्रमाणित)

हस्ताक्षर व सील (कार्यालय प्रमुख)

अभिलेख क्रमांक _____

घोषणा - पत्र

मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपना पेंशन निम्नांकित शासकीय कोषालय से प्राप्त करूँगा।

अग्रिम राशि _____

अभिप्रमाणित

पेंशनर का हस्ताक्षर _____

पेंशनर का नाम _____

पेंशनर का पद/पूर्व पद _____

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर व सील

दिनांक _____

अभिलेख क्रमांक _____

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____

पद _____

संस्था/कार्यालय _____

की दिनांक _____ से दिनांक _____ तक की सेवा पेंशन योग्य सेवा है एवं उनकी

अर्हतादायी सेवा _____

वर्ष _____ माह _____ दिन _____ आती है जिसे पेंशन हेतु

गणना की गई है।

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर

Form - 03
DETAILS OF FAMILY

(See Rule [47]12)

Name of Government Servant : _____
 Designation : _____
 Date of birth : _____
 Date of appointment : _____
 Details of the members of my Family as on : _____

S.No.	Name of the members of family	Date of birth	Relationship with the Govt. Servant	Initials of The head of office	Remarks
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Audit Officer/ Heads of office any addition or alteration.

Place :

Dated the :

Signature of Govt. Servant

Family for this purpose means :

- Wife or wives in the case of a male Government servant.
- Husband in the case of female Government servant.
- Sons below twenty one years of age and unmarried daughter below twenty four years of age including such son or daughter adopted legally before retirement.

Note :- Wife and Husband shall include respectively judicially separated wife and husband.

[To be filled in by head of Office Audit Officer]

Details of family

Filled by : _____

Designation : _____

Office : _____

Signature of head of
Office Designation

NO ENQUARY CERTIFICATE

Certified that on enquiries are pending against Shri _____

_____ Designation _____

Office of the _____ which may result in
orders to recover amount on value of property list from his or through his negligence.

Dated the _____

Sign. & Seal of
Forwarding Officer

No Demand Certificate

Certified That no Govt. dues of any kind are outstanding for recovery against Shri _____

_____ Designation _____

Officer of the _____

for which may have to be recorded from his pension and gratuity.

Signature & Seal _____

of Forwarding Officer _____

No Event Certificate

Certified that no event occurs in between the date of submission of pension case to Chief
Accounts Office Pension) Directorate of Public Instruction, Chhattisgarh Raipur and the date of

Office of Shri _____ Designation _____

Office of the _____ which would have effected favourably
or disfavoured his pension case.

Signature and seal of _____

Forwarding Officer _____

पेंशन सारांशिकरण (कम्प्यूटेशन) आवेदन - पत्र

प्रति,

(कार्यालय प्रमुख)

आवेदक का फोटो हो
जो राजपत्रित अधिकारी
द्वारा अभिप्रमाणित

विषय : पेंशन सारांशिकरण (कम्प्यूटेशन) बाबत आवेदन।

1. पूरा नाम
2. जन्म-तिथि
3. सेवा निवृत्ति की तिथि
4. पेंशन का प्रकार
5. धारित पद
6. विभाग/कार्यालय का नाम जहां से
निवृत्त हुए/होना है।
7. पेंशन की राशि
8. जिला कोषालय का नाम जहां से पेंशन ले
रहे हैं/लेना चाहते हैं।
9. पेंशन की राशि जिसे सारांशिकृत
(कम्प्यूट) कराना चाहते हैं
10. वर्तमान पता (जिस पर सूचना दी जाय)
11. पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक एवं किसके
द्वारा जारी किया गया।

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____

द्वारा पेंशन सारांशिकरण (कम्प्यूटेशन) आवेदन-पत्र दिनांक _____ को कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर और सील

-: पावती :-

श्री _____ से पेंशन

सारांशिकरण (कम्प्यूटेशन) के लिए आवेदन-पत्र इस कार्यालय में दिनांक _____ को प्राप्त हुआ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर और सील

FORM - 26
(See note below Rule 66)
UNDERTAKING

Where as I (Name) _____ Was holding
the office of _____
under the Govt. of Chhattisgarh.

And where as I have retired from Government service due to my attending the age of
superannuating of _____ or
in pursuance of the orders of Government. _____

And where the examination and enquiry of the applicants of all moneys due to Government
including house rent and Water Charges recoverable from me is likely to take some time.

And whereas the Government have consented to grant me the amount of pension and
gratuity due to me for the services rendered by me in anticipation of completion of enquiry to
enable the Government to determine the amount of any dues that may be found recoverable from
me.

And where it is incumbent upon me to pay the amount of said dues found recoverable from
as a result of the said enquiry.

Now, therefore I hereby undertake to pay the amount that may be found recoverable from
me and case I fail to pay the same with in a period of three months from the date of demand, the
said amount may be recovered from as arrears of land revenue. This is undertaking applies only to
dues which may be intimated to me within 12 months of my retirement.

Date _____

Signature _____

and

witnesses

Designation _____

1 _____

Name _____

2 _____

Date _____

Signed before me

Signature and designation

(Seal)

Declaration regarding non-receipt of pension etc as require under rule 76(15) of the C.G. Financial Rules Vol. I duly modified in the light of paragraph [vi] of the Govt. of C.G. Finance Deptt. Memo No. 3708-491-RVI-IV Dated 23-4-52.

I hereby declare that I have neither applied not received any pension or gratuity or death-cum-retirement gratuity in respect of any pertion of the service included in this application and in respect of which pension or gratuity and death-cum retirement-gratuity is claimed hear in nor shall I submit an application and the orders which may be passed on.

Attested

Sign. of pensioner _____

Name _____

Designation _____

Date _____

FORM - 25

(See note below Rule 66)

DECLARATION

I (Name) _____ Was employed
in _____ as _____

(Name of the Officer)

(Designation)

under the govt. of Chhattisgarh here by declare that to the best of my knowledge and belief no Government dues on account of House Rent or Water Charges in respect of the Government accommodation occupied by me while in the service of Government of Chhattisgarh are outstanding against me.

Attested

Sign. of retire Govt. Servant.

Name _____

Destignation _____

Date _____

Sign. of head of Officer

क

उर
हो

★ यदि

★★ य

टिप्पणी :

आज दिन

हस्ताक्षर ।

1.

2.

★ यह खा

★★ इस

★ मैं एतद द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं नाम निर्दिष्ट करता हूं और उसे/उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, ऐसा कोई भी उपादान जो शासन द्वारा सेवा में रहते हुए या सेवा निवृत्ति के बाद मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मंजूर किया जायें, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूं।

मूल नाम निर्दिष्ट व्यक्ति				वैकल्पिक का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति	
नाम निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों ★ ★ के नाम और पते	शासकीय कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक को देय उपादान के हिस्से की रकम ★	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों में यदि को हो/ हों का/के नाम पता/पते/संबंध तथा आयु जिसे/जिन्हें नाम निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों का प्रदत्त अधिकार व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व हो जाने की स्थिति में या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति/ व्यक्तियों की मृत्यु शासकीय कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात किन्तु उपादान का भुगतान करने के पूर्व हो जाने की स्थिति में अन्तर्गत होगा।	प्रत्येक को देय उपादान के हिस्से की रकम ★
1	2	3	4	5	6

★★ यह नाम निर्देशन मेरे द्वारा इससे पहले के दिनांक को किए गए नाम निर्देशन को, जो कि रद्द हो जाएगा, अतिरिक्त करता है।

टिप्पणी : शासकीय कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर-पार रेखा खींच देगा ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी नाम जोड़ा न जा सके।

आज दिनांक _____ माह _____ 20 _____ को _____ में हस्ताक्षरित ।

हस्ताक्षर के साक्षी

- ```

1. -544433000030000000
2. -44000000000000000000

```

शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर

★ यह खाता इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उपदान की संपूर्ण रकम इसके अंतर्गत आ जाए।

★★ इस खाने में दर्शाई गई उपदान की रकम/हिस्से में मूल नाम व्यक्ति/निर्दिष्ट व्यक्तियों का देय सम्पूर्ण रकम हिस्सा आ जाना चाहिए।

(कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जायेगा)

द्वारा नाम निर्देशक

नाम

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

कार्यालय

दिनांक

पदनाम

कार्यालय प्रमुख द्वारा नाम निर्देशन फार्म की प्राप्ति की अभिस्वीकृति का प्रोफार्मा

प्रति,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

में, उपादान के संबंध में फार्म \_\_\_\_\_ में आपके नाम निर्देशन,

दिनांक \_\_\_\_\_ पूर्वतर किए गए नाम निर्देशन के रद्दकरण, दिनांक \_\_\_\_\_

की प्राप्ति अभिस्वीकार करता हूँ। उसे पूर्ण रूप से अभिलेख में रख दिया गया है।

स्थान : \_\_\_\_\_

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक : \_\_\_\_\_

(पदनाम)

टिप्पणी : शासकीय कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के हित में होगा, यदि नाम निर्देशनों तथा सबद सूचनाओं की प्रतियाँ और अभिस्वीकृतियाँ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएं ताकि वे उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में लाभ प्राप्ति के कब्जे में जा सकें।

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
= मंत्रालय =  
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14/06/2013

क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत  
छत्तीसगढ़।

**विषय:-** सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत  
एकजार्ड पुनरीक्षित निर्देश, 2013।

**संदर्भ:-** इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-4/2002/1-3, दिनांक 10.6.2003 एवं  
समय-समय पर जारी पूरक निर्देश संबंधी परिपत्र दिनांक 23.7.2003, 04.08.2003,  
17.2.2004, 09.07.2004, 06.04.2005, 20.09.2005, 19.12.2005, 02.02.2006,  
04.11.2006, 26.12.2006, 05.01.2007, 27.06.2007, 06.07.2007, 21.09.2007,  
19.11.2007, 22.11.2007, 12.02.2008, 24.04.2008, 23.09.2008, 31.01.2009,  
27.05.2009, 29.06.2009, 02.07.2009, 19.11.2009, 27.03.2010, 09.06.2010,  
07.03.2011, 08.04.2011 एवं दिनांक 19.10.2011.

—00—

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के  
सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक  
10.06.2003 द्वारा निर्देश एवं तत्पश्चात् समय-समय पर अन्य पूरक निर्देश जारी किए गए हैं।  
राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त संदर्भित समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए, अनुकम्पा  
नियुक्ति के संबंध में एकजार्ड पुनरीक्षित निर्देश निम्नानुसार जारी करता है:-

**- अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में निर्देश -**

1. निर्देशों की प्रभावशीलता:- ये निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से  
प्रभावशील होंगे।
2. निर्देशों का विस्तार और उनका लागू होना:- ये निर्देश राज्य के कार्यकलापों के  
संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों को लागू होंगे।

**टीप:-** परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 20.05.2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश  
जारी होने की तिथि से लागू किया गया है। दिनांक 14.06.2013 के पूर्व के संबंधित अनुकम्पा नियुक्ति  
प्रकरणों में तत्समय लागू परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः ...2

3. दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य:- दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य ऐसे नियमित शासकीय सेवक से है, जो नियमित शासकीय सेवक के रूप से कार्यरत रहा हो अथवा आकस्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना का नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो एवं सेवाकाल के दौरान जिसका असामयिक निधन/आत्महत्या द्वारा निधन हो गया हो।
4. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी:- अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में गृहस्थिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो।
5. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र सम्मीक्ष्य:- दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नीचे दर्शित क्रमानुसार अर्थात् (क) के अस्वीकार करने पर या पात्र न होने पर (ख) को एवं उसके पश्चात् इसी अनुक्रम में आगे (ग), (घ) एवं (ङ) की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्रमशः विचार किया जायेगा:-

- (क) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा/विधुर,
- (ख) पुत्र/दत्तक पुत्र,
- (ग) \*पुत्री/\*दत्तक पुत्री,
- (घ) आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित दत्तक विधवा पुत्री,
- (ङ) आश्रित तलाकशुदा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री,
- (च) \*\*पुत्रवधु।

6. अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति:- ऐसे शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर, जो अविवाहित है (अथवा विधुर है और उसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) तो ऐसे दिवंगत शासकीय सेवक के (माता/पिता की अनुशंसा पर) \*\*\*माई/बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

\*\*\*\*परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

6(अ) दिवंगत विवाहित शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

\*\*\*\*\* स्पष्टीकरण:- दिवंगत विवाहित एवं अविवाहित शासकीय सेवक के परिवार के आश्रित सदस्य में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

- (अ) विवाहित शासकीय सेवक के मामले में:- आश्रित माता, पिता, विधवा पत्नी/विधुर पति, पुत्र एवं पुत्री (इनमें दत्तक पुत्र/पुत्री, विधवा/तलाकशुदा पुत्री शामिल है) तथा पुत्रवधु।
- (ब) अविवाहित शासकीय सेवक (अथवा विधुर जिसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) के मामले में:- आश्रित माता, पिता, माई एवं बहन।

- \* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 22.03.2016 द्वारा शब्द "अविवाहित" विलोपित।
- \*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 30.04.2016 द्वारा शब्द "पुत्र वधु" जोड़ा गया।
- \*\*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 22.03.2016 द्वारा शब्द "माई/अविवाहित बहन" के स्थान पर शब्द "माई/बहन" प्रतिस्थापित किया गया।
- \*\*\*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा उक्त कठिका 6 में परन्तुक एवं कठिका 6(अ) जोड़ा गया।
- \*\*\*\*\*परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 30.08.2016 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जारी किया गया।

क्रमशः .....3

7. अनुकम्पा नियुक्ति के पद:-

- (1) किसी भी मामले में अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के सीधी भरती के निम्नतम नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध ही दी जाएगी, यथा- सहायक ग्रेड-3, शिक्षकनी, वार्ड ब्वाय, यनरक्षक, पटवारी, पंजीयक लिपिक आदि तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में भूतय अथवा उसके समकक्षीय पद। परन्तु ऐसे कार्यपालिक पदों पर जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पश्चात् किए जाने की व्यवस्था है, अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
- (2) कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर नियुक्ति संबंधित स्थापना (कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान) में उक्तानुसार पदों पर की जा सकेगी। खिलाड़ी कोटे के आरक्षित रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- (3) चतुर्थ श्रेणी के दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

8. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की गणना एवं पदों का सीमा बंधन:-

- (1) अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भरती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।
- (2) तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत का सीमा बंधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से केवल एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए शिथिल रहेगा।
- (3) अनुकम्पा नियुक्ति के उम्मीदवारों की नियुक्ति तथा आकस्मिकता निधि/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ रूप से एवं सविदा पर नहीं की जाएगी।
- (4) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन (सीलिंग) नहीं होगा।

9. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भरती प्रक्रिया में छूट:-

- (1) रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भरती की नियमित पद्धति से छूट रहेगी।
- (2) सीधी भरती पर लागू प्रतिबंध से छूट रहेगी।

10. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता में छूट/शिथिलीकरण :-

- (1) चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विधवा/आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा पुत्री एवं \*विधवा पुत्रवधु को नियमों में पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट दी जाएगी।

**\*\*स्पष्टीकरण-** निर्देश क्रमांक 10(1) में अविवाहित शासकीय (अथवा विधुर जिराके पुत्र/पुत्री नहीं हैं) के आश्रित माता, पिता, भाई एवं बहन भी शामिल माने जाएंगे। तदनुसार उन्हें भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।

- \* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा शब्द "विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।  
 \*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 13.10.2017 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जोड़ा गया।

क्रमश: ...4

- (2) विधवा एवं विधुर को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने पर उसे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी, किन्तु उसे अन्य अर्हताओं जैसे- डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र एवं कम्प्यूटर में 5000 की- डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से हिन्दी टाईपिंग से छूट रहेगी।
- (3) विधवा एवं विधुर के अलावा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उसे उक्त पद हेतु विभागीय भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। उसे अन्य अर्हताओं जैसे- डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र से छूट प्राप्त होगी, परन्तु कम्प्यूटर में 5000 की- डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से हिन्दी टाईपिंग संबंधी कौशल परीक्षा दो वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी होगी। इस संबंध में नियुक्ति के समय आवेदक को परिशिष्ट-तीन में निर्धारित प्रारूप में वचन-पत्र भरकर देना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उक्त अवधि को नियुक्तकर्ता अधिकारी की अनुमति से अतिरिक्त ऐसा नही हुआ तो उक्त अवधि को नियुक्तकर्ता अधिकारी की अनुमति से अतिरिक्त एक-एक वर्ष करके इसे दो बार बढ़ाया जा सकेगा। यदि 4 वर्ष में भी वह कर्मचारी कौशल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता तो उसे वेतनवृद्धि मिलना तभी शुरू होगी जब वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। संबंधित कर्मचारी की आयु 45 वर्ष होने पर उसे कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जायेगी एवं 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक से उनकी नियुक्ति नियमित की जायेगी।
- (4) तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त विधवा/विधुर/आश्रित पुत्र/आश्रित पुत्री/आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा पुत्री को विभागीय भरती नियम में शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त निर्धारित अन्य तकनीकी अर्हता 02 वर्ष की अवधि में प्राप्त करना आवश्यक होगी, परन्तु 45 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें इससे छूट प्राप्त होगी।

परन्तु यदि नियमों में तृतीय श्रेणी के अनुकम्पा नियुक्ति के किसी अन्य पद के लिए किसी प्रकार के तकनीकी ज्ञान/प्रशिक्षण आदि को प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो उक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्त व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान/प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराने एवं आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था विभागीय तौर पर की जायेगी। यह व्यवस्था उन पदों के लिए लागू नहीं होगी, जिनमें नियुक्ति हेतु किसी विधिक प्रावधान द्वारा कोई अर्हता निर्धारित हो।

# 11. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट/शिथिलीकरण :-

- (1) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा, विधुर, आश्रित विधवा पुत्री एवं आश्रित तलाक शुदा पुत्री तथा विधवा पुत्रवधु\*\*\* के मामले में विभागीय भरती नियम में पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा संबंधी प्रावधान पूर्णतः शिथिल रहेंगे।

- \* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 10(4) में उल्लेखित शब्द "आश्रित अधिकांशित पुत्री" के स्थान पर शब्द "आश्रित पुत्री" प्रतिस्थापित किया गया।
- \*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 10(4) में उल्लेखित शब्द "आश्रित तलाकशुदा पुत्री" के पर्याय शब्द "विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।
- \*\*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 11(1) में उल्लेखित शब्द "आश्रित विधवा पुत्री एवं आश्रित तलाकशुदा पुत्री" के पर्याय शब्द "तथा विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।

क्रमशः 5

- (2) आश्रित पुत्र/पुत्री\* की अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्राप्ता होगी, लेकिन उन्हें मिलने वाली अन्य प्रकार की छूट को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. नक्सली हिंसा में मृत अविवाहित शासकीय सेवक के मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति:-

- (1) नक्सली हिंसा में मृत अविवाहित शासकीय सेवक के भाई/बहन जो अविवाहित है, उन्हें शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, \*\*परन्तु मृत शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

- (2) नक्सली हिंसा में मृत शासकीय सेवक (वाहे पुलिस विभाग के हो अथवा अन्य विभाग) के आश्रित परिवारजन की अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल रहेगी अर्थात् 10 प्रतिशत की सीमा की शर्त लागू नहीं रहेगी।

13. नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति :-

- (1) नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मों के परिवार में अन्य शासकीय सेवक के होते हुए भी, परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी तृतीय श्रेणी के पद पर भरती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति होने पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

- (2) नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मों के परिवार के किसी भी सदस्य को चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जायेगी।

- (3) नक्सली हिंसा में शहीद सहायक उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पुलिस कर्मियों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी सदस्य (महिला या पुरुष) को विकल्प के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी।

\*\*\*स्पष्टीकरण:- विकल्प के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी का आशय यह है कि- नक्सली हिंसा में शहीद सहायक उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पुलिस कर्मियों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी सदस्य (महिला या पुरुष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी।

- (4) यदि शहीद पुलिस कर्मों "अविवाहित" अथवा "विधुर" है और उसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शहीद पुलिस कर्मों के माता-पिता द्वारा प्राधिकृत अपने पुत्र/पुत्री को आरक्षक पद की पात्रतानुसार उपयुक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 11(2) में उल्लेखित शब्द "अविवाहित पुत्री" में से शब्द "अविवाहित" को विलोपित किया गया।

\*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 12(1) में शब्द "बशर्त उनके परिवार में और कोई कमाने वाला सदस्य न हो" विलोपित कर, उसके स्थान पर परंतुक प्रतिस्थापित की गई।

\*\*\* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 01.12.2023 द्वारा निर्देश क्रमांक 13(3) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।

क्रमशः .....6

14. असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद हुए प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में-

राज्य शासन के अवीन कार्यरत रहते हुए देशहित में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद होने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों के परिवार के आश्रित सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, द्वितीय श्रेणी के सीधी भरती के पद पर भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा उनके विभाग में स्वीकृत द्वितीय श्रेणी के सीधी भरती के रिक्त पद को अनुकम्पा नियुक्ति के पद के रूप में चिह्नित किया जाएगा एवं उक्त पद को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने हेतु आयोग की सहमति प्राप्त कर पद को अनुकम्पा नियुक्ति का पद घोषित करना होगा। प्रशासकीय विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु द्वितीय श्रेणी का रिक्त पद उपलब्ध न होने की दशा में अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु विचार किया जाएगा।

15. अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया :-

- (1) दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट-एक) एक माह की अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसी जानकारी कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी।
- (2) अनुकम्पा नियुक्ति एवं आवेदन के प्रारूप संबंधी जानकारी आश्रित परिवार को प्राप्त होने के उपरान्त पात्र वयस्क सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम तीन माह के भीतर उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस कार्यालय में दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। कार्यालय द्वारा आवेदन-पत्र की पावती आवेदक को दी जाएगी।
- (3) आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता का परीक्षण कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक की आयु की गणना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के आधार पर की जाएगी।
- (4) परिवार में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कोई पात्र वयस्क सदस्य न होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा तदर्थ की सूचना विभागाध्यक्ष कार्यालय को अविलंब दी जाएगी एवं तदसंबंधी पत्र की प्रतिलिपि परिवार के मुखिया को दी जायेगी।
- (5) आवेदन-पत्र में अपूर्ण जानकारी होने अथवा उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न न होने के आधार पर कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इंकार नहीं किया जायेगा, एवं आवेदक को पावती दी जाएगी। कार्यालय द्वारा आवेदन-पत्र का नियमानुसार परीक्षण किया जाकर उसमें पाई गई कमियों से आवेदक को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित किया जाकर कमियों की पूर्ति करने हेतु समय-सीमा दी जाएगी। निर्धारित समय-सीमा में आवेदक से जानकारी प्राप्त न होने पर उसे पुनः रजिस्टर्ड डाक से स्मरण कराया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा कमियों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त समय की मांग की जाए तो उसे अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- (6) आवेदक यदि नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र हो तो उसे यथाशीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-चार में प्रमाणिकरण किया जाकर अभिलेख संचारित किया जाएगा।

क्रमशः ...7

- (7) अनुकम्पा नियुक्ति यथासम्भव उस विभाग या कार्यालय में दी जावेगी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था। कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र नस्तीबद्ध नहीं किया जाएगा, अपितु उसे प्रक्रियाधीन माना जाकर, आगामी कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।
- (8) यदि दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा पत्नी द्वारा स्वयं की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु असहमति व्यक्त करते हुए उसके स्थान पर परिवार के अवयस्क सदस्य को वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग की जाए, तो नियुक्ता द्वारा इस संबंध में विधवा पत्नी से अंतरिम आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा अवयस्क सदस्य के वयस्क होने पर उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाएगी।
- (9) विभागाध्यक्ष कार्यालय को अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र अश्रेष्ठित होकर प्राप्त होने पर, विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा उसके कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध होने के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाएगी तथा आवेदक को अवगत कराया जायेगा। आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु असहमति व्यक्त किए जाने की दशा में, परिस्थितियों पर सन्तुष्ट रूप से विचार किया जाकर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
- (10) विभागाध्यक्ष अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष तदाशय के प्रमाण-पत्र के साथ अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को अनुकम्पा नियुक्ति देने की आगामी कार्यवाही हेतु अश्रेष्ठित किया जायेगा एवं उसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।
- \*(11) कलेक्टर कार्यालय में आवेदन-पत्र अश्रेष्ठित होकर प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी। संभागीय आयुक्त, अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हों, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अश्रेष्ठित करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर/संभागायुक्तों द्वारा किया जायेगा।
- \*(स्पष्टीकरण/निर्देश- जिला कलेक्टर, अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय-समय पर प्रेषित करेंगे तथा अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। यह स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है।)

- \* परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 07.03.2024 द्वारा निर्देश क्रमांक 15(11) के स्थान पर नया बिन्दु प्रतिस्थापित किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। क्रमशः ...8

(12) अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय में संचारित की जाएगी। ऐसी सूची दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु की तिथि के क्रमानुसार होगी। जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ हो, उसके आश्रित को पहले अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

(13) अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश जारी करने के पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा आवेदक से परिशिष्ट-दो में निर्धारित प्रारूप में, दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करने के संबंध में घोषणा-पत्र भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। घोषणा-पत्र का उल्लंघन करने के संबंध में परिवार के आश्रित सदस्य/सदस्यों द्वारा की गई शिकायत प्रमाणित पाई जाने पर अनुकम्पा नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

16. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए समय-सीमा:- सामान्य परिस्थितियों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 05 वर्ष होगी लेकिन, इसके लिए औचित्य एवं कारण दर्शाते हुए प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

17. दैनिक वेतन भोगी/सीधी भरती से संविदा पर नियुक्त दिवंगत कर्मचारी के संबंध में:-  
दैनिक वेतन भोगी/सीधी भरती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

परन्तु दिवंगत दैनिक वेतन भोगी/सीधी भरती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़कर) की निरंतर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, तो उसके आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य को एकमुश्त राशि एक लाख रुपये "अनुकम्पा अनुदान" के रूप में दी जायेगी।

18. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु परिवार की अन्य स्रोतों से आय के संबंध में सीमा:-  
अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार की अन्य स्रोतों से वार्षिक आय के संबंध में कोई सीमा बंधन नहीं होगा।

19. अनुकम्पा नियुक्ति आदेश में शर्तों का उल्लेख करना:- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमानुसार पात्र उम्मीदवार के नियुक्ति आदेश में आवश्यक सभी शर्तों जैसे स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र, पुलिस वरीफिकेशन आदि का उल्लेख किया जाए।

20. अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होने पर उपबंध :-

- (1) आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात उसके द्वारा किसी अन्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने अथवा पद परिवर्तन करने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (2) आश्रित परिवार के किसी सदस्य को दी गई अनुकम्पा नियुक्ति, परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित नहीं होगी।
- (3) विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति उपरान्त पुनर्विवाह की छूट रहेगी।
- \* (4) परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के पूर्व यह शपथ-पत्र देना होगा कि अनुकम्पा नियुक्ति के पश्चात यदि दिवंगत शासकीय सेवक के दुरुद्ध वैध रूप से वसूली की जाने वाली राशि शेष रहती है, तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी उक्त सदस्य की होगी।

\* परिपत्र क्रमांक एक 7-1/2012/1-3, दिनांक 07.06.2010 द्वारा निर्देश क्रमांक 20 में नया उप बिन्दु (4) जोड़ा गया।

क्रमशः .....9

21. निर्वाचन संबंधी कठिनाईयों का निराकरण- उक्त निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होने पर उसे राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का विनिश्चय अन्तिम एवं मान्य होगा।

संलग्न- परिशिष्ट-एक, दो, तीन एवं चार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

सही/-  
(मनोज कुमार पिंगुआ)  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 14/06/2013

पु. क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो फाईट, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव/निज सहायक, समस्त मान, मंत्रीगण/मान, राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. उप सचिव, महाबिदक्ता कार्यालय मान, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
17. अपर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष-9) सामान्य प्रशासन विभाग को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित।
18. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव। कृपया इसे सञ्चारण राजपत्र में प्रकाशित कर 500 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
19. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट [www.cg.nic.in/gadonline](http://www.cg.nic.in/gadonline) में अपलोड करने हेतु।

सही/-  
(एम.आर. ठाकुर)  
अपर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः .....10

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन- पत्र

अ. दिवंगत शासकीय सेवक के संबंध में जानकारी:-

- (1) शासकीय सेवक का पूर्ण नाम
- (2) पदनाम
- (3) श्रेणी
- (4) जन्मतिथि
- (5) कार्यालय का नाम जहां निधन पूर्व शासकीय सेवक प्रदस्थ था।
- (6) शासकीय सेवक की निधन की तिथि
- (7) शासकीय सेवक द्वारा की गई कुल सेवा अवधि

ब. आवेदक के संबंध में जानकारी:-

- (1) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम
- (2) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध
- (3) स्थायी पता
- (4) वर्तमान पता
- (5) जन्मतिथि अंको में शब्दों में
- (6) आयु
- (7) धर्म
- (8) जाति (अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाये)
- (9) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण

